विषय सूची

पैरा सं.	विवरण
1	निदेशो/अनुदेशों की प्रयोज्यता
2	परिभाषा
3	पंजीकरण और उससे संबंधित मामले
4	स्वाधिकृत निधि
5	स्वीकार्य कारोबार
6	आस्ति पुनर्निमाण
7	प्रतिभूतिकरण
8	पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा
9	निधियों का अभियोजन
10	लेखा वर्ष
11	आस्ति वर्गीकरण
12	निवेश
13	आय निर्धारण
14	तुलन पत्र में प्रकटीकरण
15	आंतरिक लेखा परीक्षा
16	छूट
17	तिमाही विवरणी की प्रस्तुति
18	लेखा परीक्षित तुलन पत्र की प्रस्तुति
19	साख सूचना कंपनियों को आंकड़े प्रस्तुत करना
20	अधिनियम के तहत स्थापित केन्द्रीय रजिस्ट्री को लेनदेन की प्रविष्टि
21	इंफोर्मेशन युटिलिटी को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करना
22	भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को रिपोर्टिंग
23	शेयरों के अंतरण द्वारा प्रबंधन में किसी प्रकार का पर्याप्त परिवर्तन हेतु बैंक से पूर्वानुमति लेना
24	प्रायोजकों/निवेशकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड
25	उचित व्यवहार संहिता

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर बैंकिंग विनियमन विभाग

केंद्रीय कार्यालय, दूसरी मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन

शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट

मुंबई -400001

मास्टर परिपत्र – आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ

1. निदेशों/अनुदेशों की प्रयोज्यता

(1) इन निदेशों/अनुदेशों के प्रावधान, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत एआरसी पर लागू होंगे । तथापि, यहां पैराग्राफ 7 में उल्लिखित न्यास/न्यासों के संबंध में, पैराग्राफ 3, 4, 5, 8, 9(i), 9(iii) 11,12,13 और 14 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

[1](2) कंपनी अधिनियम (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के नियम 4 के अंतर्गत शामिल एआरसी को अपने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को अपनाना है। उच्च गुणवत्ता और एकसमान कार्यान्वयन अनुपालन के साथ-साथ मिलान की सुविधा एवं बेहतर पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2020 को विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.109/22.10.106/2019-20 के माध्यम से इंड एएस पर विनियामकीय निर्देश जारी किए हैं, जो उक्त विषय पर तत्पश्चात जारी निर्देशों के साथ-साथ ऐसी एआरसी पर वित्तीय वर्ष 2019-20 से उनके वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ

(1) (i) "अधिनियम" का अर्थ वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 है;

(ii) "बैंक" का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अंतर्गत गठित रिज़र्व बैंक है;

(iii) "विघटित मूल्य" का अर्थ है इक्विटी पूंजी तथा आरक्षित निधि, जिसे अमूर्त परिसंपत्तियों एवं पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि के रूप में घटाया गया है, को निवेशिती (इनवेस्टी) कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित किया गया है;

[1] दिनांक 13 मार्च 2020 को जारी परिपत्र संख्या विवि.(गैबैंविक).कंपरि.नीप्र.सं.109/22.10.106/2019-20 के माध्यम से अंतर्विष्ट।

[2](iv) "प्रबंधन में परिवर्तन" का अर्थ एआरसी की पहल पर उधारकर्ता द्वारा उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन के लिए संपूर्ण या काफी हद तक संपूर्ण जिम्मेदार व्यक्ति और / या अन्य संबंधित कार्मिक को परिवर्तित करने से है;

[3](v) "अर्जन (अभिग्रहण) की तारीख" का अर्थ उस तारीख से है, जिस तारीख को एआरसी द्वारा वित्तीय आस्तियों का स्वामित्व अपनी बहियों या सीधे ट्रस्ट की बहियों में ग्रहण किया जाता है;

(vi) "जमाराशि" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के अंतर्गत बनाये गये कंपनी (जमाराशियों का स्वीकरण) नियम, 2014 में यथा परिभाषित जमाराशि से है;

(vii) "अर्जन मूल्य" का अर्थ है इक्विटी शेयरों का वह मूल्य जिसकी गणना करोत्तर लाभों के औसत तथा अधिमानी लाभांश को घटाते हुए तथा असाधारण एवं गैर-आवर्ती मदों को समायोजित करते हुए तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए की गई हो और उसे निवेशिती कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित किया गया हो तथा जिसे निम्नलिखित दर पर पूंजीकृत किया गया होः

(ए) प्रमुखतः विनिर्माण कंपनी के मामले में, आठ प्रतिशत;

(बी) प्रमुखतः व्यापार कंपनी के मामले में, दस प्रतिशत; और

(सी) एनबीएफसी सहित किसी अन्य कंपनी के मामले में, बारह प्रतिशत;

टिप्पणी : यदि निवेशिती कंपनी घाटे वाली कंपनी है तो अर्जन मूल्य शून्य पर लिया जाएगा;

(viii) "उचित मूल्य" का अर्थ अर्जन मूल्य (अर्निंग वैल्यू) तथा अलग-अलग (ब्रेक-अप) मूल्य के माध्य से है;

(ix) "अनर्जक आस्ति" (एनपीए) का अर्थ किसी आस्ति से हे, जिसके संबंध में:

(ए) ब्याज या मूलधन (या उसकी किश्त), ऋण या अग्रिम प्राप्त करने की तारीख अथवा उधार लेने वाले और प्रवर्तक (ऑरीजिनेटर) के बीच संविदा के अनुसार नियत तारीख से, जो भी बाद में हो 180 दिन या उससे अधिक दिन के लिए अतिदेय हो;

(बी) ब्याज या मूलधन (या उसकी किश्त), यहां पैराग्राफ 6(सी) में उल्लिखित आस्तियों की वसूली के लिए बनायी गयी योजना में, उसकी प्राप्ति के लिए नियत तारीख से 180 दिन या उससे अधिक दिन की अवधि के लिए अतिदेय हो;

[2] 21 अप्रैल 2010 की परिपत्र सं.गैबैंपवि.(नीप्र)सीसी) 17/एससीआरसी/26.03.001/2009-10 द्वारा प्रतिस्थापित
[3] 21 अप्रैल 2010 की परिपत्र सं.गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी) 18/26.03.001/2009-10 द्वारा प्रतिस्थापित

(सी) ब्याज या मूलधन (या उसकी किश्त), यहां पैराग्राफ 6(सी) में उल्लिखित आस्तियों की वसूली के लिए जब कोई योजना नहीं तैयार की गयी हो तो योजना अवधि की समाप्ति पर अतिदेय होती है; या

(डी) कोई अन्य प्राप्य राशि, यदि वह एआरसी की बहियों में 180 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो;

बशर्ते किसी एआरसी का निदेशक मंडल उधारकर्ता द्वारा चूक करने पर किसी आस्ति को उस पर उल्लिखित अवधि से पहले भी अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर सकता है (उक्त अधिनियम की धारा 13 में किये गये उपबंध के अनुसार प्रवर्तन में सुविधा के लिए)।

(x) "अतिदेय" का अर्थ किसी उस राशि से है, जो नियत तारीख के बाद अप्रदत्त (अनपेड) रहती है;

(xi) "स्वाधिकृत निधि" का अर्थ है निम्नलिखित का योग

(ए) चुकता ईक्विटी पूंजी;

(बी) अनिवार्य रूप से ईक्विटी पूंजी में परिवर्तनीय सीमा तक चुकता अधिमान पूंजी;

(सी) मुक्त आरक्षित निधि (पुनर्मूल्य आरक्षित निधि को छोडकर);

(डी) लाभ और हानि खाते में जमाशेष जिसमें से निम्नलिखित को घटाया गया हो :

(ई) लाभ और हानि खाते में नामे शेष

(एफ) विविध खर्चे (बट्टा खाते में न डाली गई या समायोजित न की गई सीमा तक);

(जी) अमूर्त आस्तियों का बही मूल्य;

(एच) अनर्जक आस्तियों के लिए अल्प / कम प्रावधान / निवेशों के मूल्य;

(आई) अधिक आय निर्धारण, यदि कोई हो;

(जे) वित्तीय विवरणों के संबंध में लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में नियत किये गये मदों के लिए अपेक्षित अन्य कटौतियां;

(xii) "योजना अवधि" का अर्थ पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु अर्जित की गयी वित्तीय आस्तियों की वसूली हेतु योजना बनाने के लिए अनुमति प्रदान की गई अधिकतम [4]छ: महीने की अवधि से है;

(xiii) "मानक आस्ति" का अर्थ किसी ऐसी आस्ति से है, जो अनर्जक आस्ति नहीं है;

[4] 05 अगस्त 2014 की अधिसूचना गैबैंपवि(नीप्र-एससीआरसी) सं.11/पीसीजीएम(केकेवी)/2014 द्वारा जोड़ा गया।

[5](xiv) "प्रबंधन के अधिग्रहण" शब्दों का अर्थ एआरसी द्वारा उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन कार्मिक को परिवर्तित करके या बिना परिवर्तित किए उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन को अधिग्रहीत करने से है;

(xv) "न्यास" का अर्थ भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 3 में यथापरिभाषित न्यास से है।

(2) यहां पर प्रयुक्त उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जिनकी यहां परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु इस अधिनियम में जिनकी परिभाषा दी गई है, वही अर्थ होगा, जो उक्त अधिनियम में उनका अर्थ है। अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जिनकी परिभाषा उक्त अधिनियम में नहीं दी गई है, अर्थ वह होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 में उनका अर्थ है।

3. पंजीकरण और उससे संबंधित मामले

(i) प्रत्येक एआरसी बैंक के वेबसाइट पर उपलोड किए गए आवेदन फॉर्म[6] में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगी और उक्त अधिनियम की धारा 3 में किये गये उपबंध के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी;

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण की इच्छा रखने वाली एआरसी से अपेक्षित है कि वह अपना आवेदन उपर्युक्त खंड (i) में विनिर्दिष्ट फार्मेट में विधिवत भरकर सभी संबंधित कागजात / समर्थित दस्तावेजो के साथ प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, द्वितीय तल, मुख्य कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 001 को प्रस्तुत करें;

(iii) कोई एआरसी, जिसने उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत बैंक द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण दोनों कार्यकलाप कर सकती हैं;

[7](iii) (ए) कोई एआरसी बैंक द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र मंजूर किए जाने की तारीख से 6 माह के भीतर कारोबार प्रारंभ करेगी;

बशर्ते कि एआरसी द्वारा कारोबार प्रारंभ करने की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करने पर रिज़र्व बैंक इस अवधि को उसके बाद उस समय तक के लिए बढ़ा सकता है जो पंजीकरण प्रमाणपत्र मंजूर होने की तारीख से कुल 12 माह के बाद की नहीं होगी।

---

[5] 21 अप्रैल 2010 की परिपत्र सं.गैबैंपवि/नीप्र-(एससीआरसी) सं.17/26.03.001/2009-10 द्वारा जोड़ा गया।
[6] https://rbi.org.in/scripts/FS_Forms.aspx?fn=14
[7] 19 अक्तूबर 2006 की अधिसूचना गैबैंपवि सं.6/सीजीएम(पीके)/2006 द्वारा जोड़ा गया

[8](iii) (बी) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए, 45-आईबी तथा 45-आईसी के प्रावधान/शर्तें उस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नही होंगे/होंगी जो एआरसी है और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत बैंक के पास पंजीकृत है;

(iv) कोई संस्था जो, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत बैंक में पंजीकृत नहीं है, अधिनियम के दायरे के बाहर अपेक्षित प्राधिकृति/स्वीकृति के अधीन प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्निर्माण का कारोबार कर सकती है।

[9]4. स्वाधिकृत निधि

(1) 28 अप्रैल 2017 से लागू होकर एआरसी के लिए निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) निरंतर आधार पर न्यूनतम 100 करोड़ रूपए होगी। तदनुसार, 100 करोड़ रुपए से कम निवल स्वाधिकृत निधि वाली कोई भी एआरसी प्रतिभूतिकरण अथवा आस्ति पुनर्निर्माण कारोबार नहीं करेगी।

(2) निवल स्वाधिकृत निधि की गणना स्वाधिकृत निधि (ओएफ) में निम्नलिखित राशि को घटाकर की जाएगी

(i) एआरसी द्वारा निम्न शेयरों में निवेश-

ए. जो उसकी सहायक संस्था हो;

बी. उसी समूह की अन्य कंपनियों में;

सी. अन्य सभी एआरसी; तथा

(ii) ऐसे डिबेंचर, बॉन्ड, बकाया ऋण और उन्हें दिए अग्रिमों का बही मूल्य और के साथ जमा -

ए. एआरसी कंपनियों के सहायक संस्थाओं में; और

बी. उसी समूह की कंपनियों में,

उस सीमा तक जिस तक ऐसा बही मूल्य स्वाधिकृत निधि के 10% से अधिक हो

[8] 28 अगस्त 2003 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.3/सीजीएम(ओपीए)/2003 द्वारा जोड़ा गया।
[9] 28 अप्रैल 2017 की परिपत्र सं.गैबैंविवि/नीप्र-(एसआरसी) सीसी.सं.03/26.03.001/2016-17 द्वारा जोड़ा गया।

5. स्वीकार्य कारोबार

(i) कोई भी एआरसी केवल प्रतिभूतिकरण और आस्ति पुनर्निर्माण के कार्यकलाप तथा उक्त अधिनियम की धारा 10 में उपबंधित कार्य करेगी।

(ii) कोई एआरसी जमा के रूप में कोई धन नहीं उगाहेगी।

6. आस्ति पुनर्निर्माण

ए. (1) वित्तीय आस्तियों का अभिग्रहण

(i) प्रत्येक प्रतिभूतिकरण या पुनर्निर्माण कंपनी, पंजीकरण प्रमाण पत्र की मंजूरी के 90 दिन के अंदर अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से एक 'वित्तीय आस्ति अभिग्रहण नीति' बनाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्पष्ट रूप से निम्नलिखित के संबंध में नीतियां और मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये जायेंगे,

[10](ए) अपनी बहियों या ट्रस्ट की बहियों में सीधे अर्जन के मानदण्ड और प्रक्रिया;

(बी) आस्तियों के प्रकार और वांछित रूप रेखा (प्रोफाइल);

(सी) यह सुनिश्चित करते हुए कि अर्जित की गयी आस्तियों का वसूली योग्य मूल्य है, जिसका उचित रूप से आकलन और तटस्थ रूप से मूल्यन किया जा सकता है, मूल्यन की क्रिया विधि;

(डी) आस्ति पुनर्निर्माण के लिए अर्जित वित्तीय आस्तियों के मामले में, उनकी वसूली के लिए योजना बनाने हेतु व्यापक (ब्राड) मापदंड।

(ii) निदेशक मंडल वित्तीय आस्तियों के अभिग्रहण के प्रस्तावों के संबंध में निर्णय लेने के लिए निदेशक और/या एआरसी के किसी अधिकारी को लेकर बनायी गयी किसी समिति को अधिकारों का प्रत्यायोजन कर सकता है।

(iii) नीति से हट कर कोई निर्णय केवल निदेशक मंडल के अनुमोदन से ही लिया जाना चाहिए।

[10] 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)8/सीजीएम(एएसआर) 2010 द्वारा प्रतिस्थापित

[11] (iv) दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए बोली लगाने से पहले, एआरसी अंतर्निहित परिसंपत्तियों की पुष्टि कर खाते का एक सार्थक यथोचित परिश्रम करने के लिए नीलामी बैंकों से कम से कम दो सप्ताह का पर्याप्त समय प्राप्त कर सकते हैं।"

[12](2) अन्य एआरसी से वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण की अनुमति

एआरसी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अन्य एआरसी से वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण की अनुमति दी जाती है:

ए. लेनदेन नकदी आधार पर किया जाए;

बी. ऐसे लेनदेन का मूल्य निर्धारण प्रतिभूति रसीद धारकों के हित के लिए पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए;

सी. विक्रय करने वाली एआरसी इस प्रकार प्राप्त राशि का प्रयोग अंतर्निहित प्रतिभूति रसीदों का मोचन करने में करेगी;

डी. अंतर्निहित प्रतिभूति रसीदों के मोचन की तिथि और वसूली का कुल समय प्रथम एआरसी द्वारा अधिग्रहण की तिथि से आठ वर्षों से अधिक नहीं होगा।

[13](3) एआरसी द्वारा प्रायोजकों और ऋणदाताओं से वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण

किसी भी परिस्थिति में एआरसी निम्नलिखित से द्विपक्षीय आधार पर वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकती हैं:

(i) ऐसा बैंक/वित्तीय संस्थान (एफ़आई), जो एआरसी का प्रयोजक है;

(ii) ऐसा बैंक/वित्तीय संस्थान (एफ़आई), जो या तो एआरसी का ऋणदाता है अथवा जो एआरसी द्वारा अपने परिचालन के लिए जुटायी निधि, अगर हो तो, का अभिदानकर्ता है;

(iii) एआरसी से संबंधित समूह की एक संस्था।

तथापि, वे वित्तीय आस्तियों की नीलामी में भाग ले सकते हैं बशर्ते कि ऐसी नीलामी पारदर्शी तरीके से बिना किसी हस्तक्षेप के की गई हो और मूल्यों का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा किया गया हो।

---

[11] 05 अगस्त 2014 की अधिसूचना सं:गैबैंपवि(नीप्र-एससी/आरसी)सं.11/पीसीजीएम(केकेवी)/-2014 द्वारा जोड़ा गया।
[12] 28 जून 2019 की परिपत्र सं.गैबैविवि/नीप्र-(एआरसी) सीसी.सं.07/26.03.001/2018-19 द्वारा जोड़ा गया।
[13] 06 दिसंबर 2019 की परिपत्र सं.विवि.एनबीएफ़सी (एसआरसी) सीसी.सं.08/26.03.001/2019-20 द्वारा जोड़ा गया।

[14]**(4)** आस्तियों के अधिग्रहण से पूर्व बैंक/वित्तीय संस्था से वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण के लिए उचित प्रक्रिया अपनाने हेतु उठाए गए खर्च को संबन्धित वित्तीय वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में तत्काल शामिल किया जाना चाहिए। आस्तियों का अधिग्रहण के बाद ट्रस्ट के निर्माण हेतु ट्रस्ट से वसूल किए जाने वाले स्टैंप शुल्क, पंजीकरण आदि हेतु उठाये गए खर्च यदि खर्च को योजना अवधि के 180 दिनों अथवा प्रतिभूति रसीदों (एसआर) के डाउनग्रेडिंग [अर्थात निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की तुलना में एसआर के अंकित मूल्य का 50% से कम हो जाना] जो भी पहले हो, के अंदर प्राप्त नहीं होता है, तो इसे वापस किया जाए।

बी. आस्ति पुनर्निर्माण के उपाय

[15](1) उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या उसका अधिग्रहण

(i) इन मार्गदर्शी सिध्दांतों का उद्देश्य एआरसी की कार्रवाई में निष्पक्षता, पारदर्शिता, अविभेदीकरण एवं मनमानेपन पर रोक को सुनिश्चित करना और अधिनियम की धारा 9(1)(क) के अंतर्गत एआरसी द्वारा उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन करने या उसके अधिगहण को प्रभावी करने के बारे में सम्यक नियंत्रण तथा संतुलन प्रणाली को सुस्थापित करना है। एआरसी, उक्त अधिनियम, 2002 की धारा 9(1)(क) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय इन मार्गदर्शी सिध्दांतों का पालन करेंगी।

(ii) कोई एआरसी, उधारकर्ता से अपनी प्राप्य राशियों की वसूली के प्रयोजन हेतु उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या का अधिग्रहण इन मार्गदर्शी सिध्दांतों के उपबंधों के अंतर्गत ही कर सकती है। एआरसी उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन /के अधिग्रहण के विकल्प का प्रयोग उक्त अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों के अनुसार प्रबंधन के अधिग्रहण के लिए दिए गए तरीके का अनुपालन करने के बाद कर सकती है। अपनी प्राप्य राशियों की वसूली हो जाने पर एआरसी इस अधिनियम की धारा 15(4) के उपबंधों के अनुसार उधारकर्ता को उसके कारोबार का प्रबंधन उसे लौटा देगी;

बशर्ते कि यदि कोई एआरसी अपने कर्ज के किसी भाग को उधारकर्ता कंपनी के शेयरों में इस प्रकार परिवर्तित करती है कि उसे उधारकर्ता कंपनी में नियंत्रणकारी हित प्राप्त हो जाए, तो इस प्रकार की एआरसी ऐसे उधारकर्ता के कारोबार को पुनर्स्थापित करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

---

[14] 23 अप्रैल 2014 का परिपत्र सं.गैबैंपवि(नीप्र)सं.38/एससीआरसी/26.03.001/2013-14 द्वारा जोड़ा गया।
[15] 21 अप्रैल 2010 की परिपत्र सं. गैबैंपवि/नीप्र-(एससीआरसी) सं.17/26.03.001/2009-10 द्वारा जोड़ा गया।

(iii) प्रबंधन में परिवर्तन /के अधिग्रहण हेतु शक्तियों का प्रयोग करने की पूर्वापेक्षाएं

नीचे पैराग्राफ (iv) में दी गई परिस्थितियों में -

(ए) एआरसी उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या उसका अधिग्रहण तभी कर सकती है जब उधारकर्ता से उसे प्राप्य राशियाँ उधारकर्ता के स्वामित्व की कुल परिसंपत्तियों के 25% से कम न हों; और

(बी) जहाँ उधारकर्ता को (एआरसी सहित) एक से अधिक सिक्योर्ड उधारकर्ताओं ने वित्तीय सहायता दी हो, वहाँ (एआरसी सहित) सिक्योर्ड उधारदाता बकाया प्रतिभूति रसीदों के कम से कम 60% के धारक हों तथा ऐसी कार्रवाई के लिए सहमत हों।

स्पष्टीकरण: **"**कुल परिसंपत्तियों**"** का अर्थ कार्रवाई की तारीख से ठीक पूर्व के अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र में प्रकट की गई कुल परिसंपत्तियों से है।

(iv) प्रबंधन में परिवर्तन या के अधिग्रहण के लिए आधार

उपर्युक्त पैराग्राफ (iii) में वर्णित पूर्वापेक्षाओं की शर्त के तहत एआरसी निम्नलिखित में से किसी एक आधार के उपलब्ध होने पर उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या के अधिग्रहण करने की हकदार होगी :-

(ए) संबंधित ऋण करार /करारों के तहत उधारकर्ता जानबूझकर देय राशियों की अदायगी करने में चूक करता है;

(बी) यदि एआरसी इस बात से संतुष्ट है कि उधारकर्ता के प्रबंधन की कार्यशैली से लेनदारों (एआरसी सहित) के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या उधारकर्ता लेनदारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में विफल हो रहा है;

(सी) यदि एआरसी इस बात से संतुष्ट है कि उधारकर्ता के कारोबार का प्रबंधन कारोबार को चलाने में सक्षम नहीं है जिससे कारोबार में हानि हो सकती है /एआरसी द्वारा प्राप्य राशियों की चुकौती नहीं हो सकती है या उधारकर्ता के कारोबार में पेशेवर प्रबंधन का अभाव है या उधारकर्ता के कारोबार के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के पद पर, रिक्ति को एक वर्ष से अधिक का समय हो जाने पर, भी नियुक्ति नहीं हुई है जिससे उधारकर्ता के कारोबार के वित्तीय स्वास्थ्य या एआरसी जो सिक्योर्ड लेनदार है, के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

(डी) सिक्योर्ड लेनदारों (एआरसी सहित) की पूर्वानुमति के बिना उधारकर्ता ने एआरसी के पास जमानत के रूप में रखी परिसंपत्तियों को बेच दिया है, को समाप्त कर दिया है, पर प्रभार निर्मित कर दिया है, भारग्रस्त कर दिया है या विलग कर दिया है जो एआरसी की सिक्योर्ड संपत्तियों का कुल मिलाकर 10% या अधिक है;

(ई) यदि इस बात का विश्वास करने का उचित आधार हो कि उधारकर्ता द्वारा स्वीकार की गई अदायगी की शर्तों के अनुसार वह ऋण की अदायगी करने में असमर्थ होगा;

(एफ) यदि उधारकर्ता ने एआरसी की सहमति के बिना लेनदारों से कोई करार या समझौता कर लिया है जिससे एआरसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या उधारकर्ता ने दीवालियेपन का कोई कार्य किया हो;

(जी) यदि उधारकर्ता अपने पण्यावर्त (टर्नओवर) के 10% या अधिक अंश वाले कारोबर को बंद कर देता है या बंद करने की धमकी देता है;

(एच) यदि उधारकर्ता की संपूर्ण परिसंपत्तियाँ या उनका महत्त्वपूर्ण भाग जो उसके कारोबार या परिचालनों के लिए अपेक्षित या आवश्यक था जिसे उधारकर्ता ने अपने कार्यों से नुकसान पहुँचाया हो;

(आई) यदि उधारकर्ता के कारोबार का सामान्य स्वरूप या व्यापकता /दायरे, परिचालन, प्रबंधन, नियंत्रण या स्वामित्व उस सीमा तक बदल गए हैं, जो एआरसी के विचार में उधारकर्ता की अदायगी क्षमता को काफी हद तक प्रतिकूल रूप में प्रभावित कर सकते हैं;

(जे) यदि एआरसी इस बात से संतुष्ट है कि उधारकर्ता के कारोबार के प्रवर्तकों या निदेशकों या भागीदारों में गंभीर विवाद पैदा हो गए हैं जो उधारकर्ता द्वारा ऋण/ऋणों की अदायगी की क्षमता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं;

(के) उधारकर्ता द्वारा ऋण से अर्जित की जानेवाली परिसंपत्ति के अर्जन में विफल होने, निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न के लिए उधार राशि का उपयोग करने या वित्तपोषित परिसंपत्ति का निपटान करने (बेच लेने) और आगम/प्राप्त राशि (प्रोसीड्स) का दुरुपयोग या दुर्विनियोजन हुआ हो;

(एल) लेनदार /लेनदारों के पास रखी जमानती परिसंपत्तियों के संबंध में उधारकर्ता द्वारा कपट पूर्ण लेनदेन किए जाएं।

स्पष्टीकरण 'ए' : इस पैराग्राफ के लिए देय राशियों की अदायगी करने में "जानबूझकर चूक करने में" निम्नलिखित शामिल हैं:-

(ए) पर्याप्त नकदी प्रवाह एवं अन्य स्रेतों की उपलब्धता के बावजूद देय राशियों की अदायगी न करना; या

(बी) देय राशियों की अदायगी से बचने के लिए उधारदाता के अतिरिक्त/सहायता संघ (कंसोर्सियम) की सदस्यता न रखने वाले बैंक /बैंकों के माध्यम से लेनदेन करना; या

(सी) चूककर्ता यूनिट के हितों के विरुद्ध निधियों को अन्य कार्यों के लिए निकाल (खर्च कर) लेना, या एआरसी से लेनदेन से संबंधित रिकार्डों का दुष्प्रनिधित्व करना/ को झूठे तरीके से दिखाना।

स्पष्टीकरण 'बी' : उधारकर्ता जानबूझकर चूक कर रहा है या नहीं, इसका निर्णय एआरसी उधारकर्ता के ट्रैक रेकार्ड को दृष्टिगत रखते हुए करेगी, न कि किसी एकल लेनदेन /घटना के आधार पर जो महत्वपूर्ण नहीं है। जानबूझर चूक करने की श्रेणी में दर्ज करने के लिए चूक को इरादतन, जानबूझकर तथा सोच समझकर किया गया होना चाहिए।

(v) प्रबंधन में परिवर्तन या के अधिग्रहण से संबंधित नीति

(ए) प्रत्येक एआरसी अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से "प्रबंधन में परिवर्तन या के अधिग्रहण से संबंधित नीतिगत मार्गदर्शी सिध्दांत बनाएगी और अपनी ऐसी नीति की जानकरी उधारकर्ताओं को देगी।

(बी) ऐसी नीति में सामान्यत: निम्नलिखित का प्रावधान होगा -

(i) उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन /का अधिग्रहण की कार्रवाई एआरसी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्ताव की जांच करने के बाद की जाएगी। इस समिति में तकनीकी / वित्तीय/विधिक पृष्ठभूमि वाले पेशेवर व्यक्ति शामिल किए जाएंगे जो उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने, उधारकर्ता से ऋण की वसूली के लिए उपलब्ध समय-सीमा, उधारकर्ता के भावी कारोबार की संभावनाओं तथा अन्य संबंधित पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिश एआरसी को देंगे कि वह उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन/के अधिग्रहण की कार्रवाई कर सकती है तथा यह कि ऐसी कार्रवाई प्राप्य राशियों की प्राप्ति तक कारोबार को प्रभावी रूप में चलाने के लिए आवश्यक है;

(ii) न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशकों सहित एआरसी का निदेशक बोर्ड स्वतंत्र परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करेगा और मौजूदा परिरिथतियों में उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या अधिग्रहण की कार्रवाई का निर्णय लेने से पूर्व प्राप्य राशियों की वसूली के विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगा और इस प्रकार लिए गए निर्णय को कार्यविवरण में विशेष रूप से शामिल किया जाएगा।

(iii) एआरसी इस संबंध में समुचित सावधानी की प्रक्रिया अपनाएगी और प्रक्रिया का ब्योरा दर्ज करेगी जिसमें उन परिस्थितियों का वर्णन होगा जिनके कारण उधारकर्ता ने देय राशियों की अदायगी करने में चूक की और उसके कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन /के अधिग्रहण की नौबत क्यों आयी /आवश्यकता क्यों हुई।

(iv) एआरसी उचित कार्मिक /एजेंसी की पहचान करेगी जो उधारकर्ता के कारोबार को प्रभावी ढंग से परिचालित एवं प्रबंधित करने के लिए योजना तैयार करके उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन का अधिग्रहण कर सकेगी ताकि समय-सीमा में एआरसी की प्राप्य राशियां उधारकर्ता से प्राप्त /वसूल की जा सकें।

(v) ऐसी योजना में उल्लिखित पैराग्राफ 6 (बी)(1)(ii) के अनुसार उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन को पुनर्स्थापित करते समय एआरसी द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया शामिल होगी जिसमें एआरसी द्वारा प्रबंधन में परिवर्तन करने /के अधिग्रहण के समय उधारकर्ता के अधिकार तथा दायित्व एवं उधारकर्ता को कारोबार का प्रबंधन लौटाते समय एआरसी की ओर से नए प्रबंधन के अधिकार एवं दायित्व शामिल होंगे। एआरसी द्वारा नए प्रबंधन को स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा कि उसकी /उनकी भूमिका उधारकर्ता के कारोबार को विवेकपूर्ण ढंग से चलाकर एआरसी की प्राप्य राशियों की वसूली तक सीमित होगी ।

स्पष्टीकरण :-

स्वतंत्र परामर्शदात्री समिति के सदस्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सदस्यों का एआरसी के किसी भी कार्य से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए और स्वतंत्र परामर्शदात्री समिति के सदस्य के तौर पर सेवाओं से भिन्न किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ एआरसी से नहीं मिलना चाहिए।

(vi) प्रबंधन में परिवर्तन या के अधिग्रहण की प्रक्रिया

(ए) एआरसी उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन करने/के अधिग्रहण के अपने इरादे से उधारकर्ता को 60 दिन का नोटिस देकर अवगत कराएगी और आपत्तियां, यदि कोई हों, प्राप्त करेगी।

(बी) यदि उधारकर्ता द्वारा इस संबंध में कोई आपत्तियां उठायी जाती हैं तो प्रारंभ में स्वतंत्र परामर्शदात्री समिति उन पर विचार करेगी और उसके बाद उन्हें अपनी सिफारिशों के साथ एआरसी के निदेशक बोर्ड को सौपेंगी। एआरसी का निदेशक बोर्ड नोटिस अवधि की समाप्ति से 30 दिन के भीतर उचित/ तर्क संगत आदेश पारित करेगा जिसमें उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंध में परिवर्तन /के अधिग्रहण के बाबत एआरसी के निर्णय का उल्लेख होगा जिसके बारे में उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा।

(vii) रिपोर्टिंग

एआरसी उधारकर्ताओं से अपनी प्राप्य राशियों की वसूली के लिए उनके कारोबार के प्रबंध में परिवर्तन करने/ के अधिग्रहण की की गई कार्रवाई के सभी मामले 26 सितंबर 2008 को जारी और समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्र गैबैंपवि (नीति प्रभा.) कंपरि.सं 12/SCRC/10.30.000/2008-09 के अनुसार बैंक को रिपोर्ट करेगी।

(2) उधारकर्ता के कारोबार के एक भाग या संपूर्ण कारोबार की बिक्री या पट्टे पर देना

कोई भी एआरसी तब तक उक्त अधिनियम की धारा 9 (1)(बी) में विनिर्दिष्ट उपाय अमल में नहीं लाएगी, जब तक कि इस संबंध में बैंक द्वारा आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं कर दिये जाते हैं।

(3) ऋणों की पुनर्व्यवस्था (रिशेड्यूलिंग) करना

(i) प्रत्येक एआरसी उधार लेने वालों से प्राप्य ऋणों की पुनर्व्यवस्था करने के लिए व्यापक मापदंड निर्धारित करते हुए निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक नीति बनायेगी;

(ii) सभी प्रस्ताव उधार लेने वाले के कारोबार की स्वीकार्य योजना, अनुमानित आय और नकदी प्रवाहों के अनुसार तथा उन के द्वारा समर्थित होने चाहिए;

(iii) प्रस्तावों से एआरसी का आस्ति देयता प्रबंधन एवं निवेशकों को दिए गए वादे अधिक मात्रा में प्रभावित नहीं होना चाहिए;

(iv) निदेशक मंडल, ऋणों की पुनर्व्यवस्था करने के प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए किसी निदेशक और / या कंपनी के किसी अधिकारी को लेकर बनी एक समिति को अधिकार प्रत्यायोजित कर सकता है;

(v) नीति से हट कर कोई निर्णय केवल निदेशक मंडल के अनुमोदन से ही लिया जाना चाहिए।

[16](vi) ऐसे मामलों में जिनमें एआरसी का किसी उधारकर्ता के समक्ष 07 जून 2019 दिनांकित और समय-समय पर यथासंशोधित दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क की शर्तों के अधीन एक्सपोजर है, तो एआरसी अंतर-ऋणदाता समझौता (आईसीए) पर हस्ताक्षर करेंगे और इसके सभी प्रावधानों का पालन करेंगे।

(4) प्रतिभूति हित प्रवर्तन

[17] (i) एआरसी को प्रतिभूति हित का प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि रक्षित क्रेडिटरों से अबतक 75% की तुलना में उधारकर्ता के बाकाया राशि का कम से कम 60% से अधिक धारण के प्रति सहमति प्राप्त करें।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत जमानती आस्तियों की बिक्री की कार्रवाई करते समय, यदि उक्त बिक्री केवल सार्वजनिक नीलामी के रूप में की जा रही हो तो कोई एआरसी उक्त जमानती आस्तियों को या तो अपने उपयोग के लिए या पुनर्बिक्री के लिए अर्जित कर सकती है।

(5) उधारकर्ताओं द्वारा देय राशियों का निपटारा

(i)(ए) उधारकर्ताओं से प्राप्य ऋणों के निपटारे हेतु व्यापक मापदंड निर्धारित करते हुए प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी निदेशक मंडल के विधिवत अनुमोदन से एक नीति बनाएगी;

[16] 07 जून 2019 को जारी परिपत्र सं.बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.45./21.04.048/2018-19 के फुटनोट 5 द्वारा अंतर्विष्ट किया गया।
[17] 23 जनवरी 2014 का परिपत्र सं. गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.35/एससीआरसी/26.03.001/2013-14 द्वारा जोड़ा गया।

(बी) उक्त नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निर्दिष्ट तारीख, वसूली योग्य राशि के अभिकलन और लेखा के निपटारे का सूत्र, भुगतान की शर्ते और नियत की हुई राशि का भुगतान करने की उधारकर्ता की सामर्थ्य जैसे पहलुओं को शामिल किया जा सकता है;

(सी) जब उक्त निपटारे में करार सम्मत संपूर्ण राशि के एकमुश्त भुगतान का विचार नहीं किया गया हो तो प्रस्ताव, कारोबार की स्वीकार्य योजना उधारकर्ता की अनुमानित आय और नकदी प्रवाहों के अनुसार तथा उससे समर्थित होने चाहिए;

(डी) इन प्रस्तावों से एआरसी का आस्ति देयता प्रबंधन या निवेशकों को दिये गये आश्वासन अधिक प्रभावित नहीं होने चाहिए;

(ई) निदेशक मंडल, देय राशियों के निपटारे हेतु प्रस्तावों के संबंध में निर्णय लेने के लिए किसी निदेशक और / या कंपनी के किसी अधिकारी को लेकर बनी एक समिति को अधिकारों का प्रत्यायोजन कर सकता है;

(एफ) नीति से हट कर निर्णय केवल निदेशक मंडल के अनुमोदन से ही लिया जाना चाहिए।

[18](ii) चूककर्ता कंपनी/उधारकर्ता के प्रोमोटर्स अथवा गारेंटर को एससी/आरसी से अपनी की वापसी खरीद की अनुमति है बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:

(ए) इस प्रकार के निपटान निम्नलिखित अवस्थाओं में सहायक हो सकते है:

(i) कानूनी विवाद की लागत तथा इस संबंध में हुई समय ह्रास को न्यून अथवा समाप्त करना;

(ii) प्रतिभूत आस्तियों के मूल्य ह्रास के नकरात्मक प्रभाव को अवरूद्ध करना जिससे एक बार आस्ति का परिचालन हीन बनते ही तेजी से मूल्य कम होता है;

(iii) जहां वसूली/समाधान प्रक्रिया अनिश्चित लगता हो और;

(iv) जहां ऐसे निपटान पुनर्निमाण के उद्देश्य के लिए लाभदायक हो।

[18] 19 मार्च 2014 का परिपत्र सं.गैबैंपवि(नीप्र)सं.37/एससीआरसी/26.03.001/2013-14 द्वारा जोड़ा गया।

(बी) निम्नलिखित घटकों में फैक्टरिंग करने के बाद एआरसी द्वारा आस्ति के मूल्य को निकाला जाए :

(i) प्रस्तावित निपटान का वर्तमान मूल्य (आस्ति का मूल्यांकन छ: माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए) के साथ साथ वसूली की वैकल्पिक समाधान प्रक्रिया के निवल वर्तमान मूल्य के संबंध में उसमें निहित घटना क्रम को ध्यान में रख कर विचार किया जाए।

(ii) समय बीतने के कारण प्रतिभूत आस्तियों के मूल्य में संभावित सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिवर्तन।

(iii) सांविधिक बकाया, कर्मचारियों आदि के प्रति देनदारी के संग्रहण के कारण वसूली में ह्रास की संभावना।

(iv) अन्य घटको, कोई हो तो, जिससे वसूली प्रभावित होती सकती है।

(सी) एआरसी अपने निदेशक मंडल से विधिवत मंजूरी से लेकर नीति बनाए, जिसमें उपर्युक्त पहलुओं के अलावा पैरा 6(बी)(5)(i)(ए) में उल्लिखित पहलू भी समिलित होने चाहिए|

[19](6) कर्ज के किसी हिस्से को उधारकर्ता कंपनी के शेयरों के रूप में परिवर्तन

(i) प्रत्येक एआरसी को निदेशक मंडल से विधिवत अनुमोदित नीति बनाना होगा जिसमें कर्ज को उधारकर्ता कंपनी के शेयर में परिवर्तन के लिए बोर्ड का मापदण्ड निहित हो;

वित्तीय आस्तियों के मामले में जिसमें पुनर्रचना के बाद काया पलट की संभावना बनती है किंतु सामान्यत: यह वृहद चूक और कर्ज का अन्सस्टेनबल स्तर के साथ होती है अत: यह आवश्यक है कि विस्तृत कारोबार योजना के मूल्यांकन तथा परिचालन की अनुमानित स्तर के आधार पर इसे ऋण की सस्टनेबल स्तर तक लाया जाए, जिसे कंपनी द्वारा सेवित किया जा सके। अवशिष्ट अन्सस्टेनबल कर्ज के हिस्से को इष्टम कर्ज इक्विटी संरचना के लिए इक्विटी में परिवर्तित किया जा सकता है। यद्यपि एआरसी को उधारकर्ता कंपनी के कर्ज को शेयर में परिवर्तन के माध्यम से काया पलट करने का महत्वपूर्ण अधिकार अथवा अनुमति है किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उधारकर्ता कंपनी को परिचालित कर रहे है। पुनर्रचना के तहत कंपनी का पोस्ट परिवर्तित इक्विटी एआरसी के शेयर धारण के 26% से अधिक नहीं होना चाहिए।

[19] 23 जनवरी 2014 का परिपत्र सं.गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.35/एससीआरसी/26.03.001/2013-14 द्वारा जोड़ा गया।

[20] बशर्ते कि नीचे उप पैरा (क) में निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाली एआरसी को सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुपालन/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर एआरसी के लिए लागू दिशानिर्देश / निर्देश और साथ ही साथ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी विनियमावली और अन्य सम्बद्ध कानून के पालन के अधीन, 26% की सीमा से छूट दिया गया है। ऋण के इक्विटी में रूपांतरण के पश्चात शेयरधारिता की सीमा उस विशिष्ट क्षेत्र के लिए अनुमत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) सीमा के अनुसार होगी।

(ए) नीचे उल्लिखित शर्तों को पूरा करने वाली एआरसी को उधारकर्ता कंपनी की रूपांतरण पश्चात इक्विटी के 26% शेयरहोल्डिंग की सीमा से छूट दी जाती है:

i. एआरसी को निरंतर आधार पर 100 करोड़ रुपए की निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की आवश्यकता का अनुपालन करना होगा;
ii. एआरसी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए;
iii. एआरसी अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से ऋण के इक्विटी में रूपांतरण के लिए नीति तैयार करेगा और ऋण के इक्विटी में रूपांतरण के लिए प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए बहुसंख्य स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति को अधिकार देगा;
iv. इस योजना के अंतर्गत अधिग्रहित इक्विटी शेयरों को समय-समय पर मूल्यांकित और बाजार मूल्य से निर्धारित किया जाएगा। मूल्य निर्धारण की आवृत्ति महीने में कम से कम एक बार होगी।

(बी) एआरसी, कंपनियों के प्रबंधन के लिए क्षेत्र-विशिष्ट की ऐसी प्रबंधन कंपनियों / व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने की संभावना पर विचार कर सकती है, जिसे फर्म /कंपनियों को चलाने में विशेषज्ञता प्राप्त हो।

(सी) वित्तीय आस्तियों के वसूली की योजना

(i) प्रत्येक एआरसी को योजना अवधि के अंदर आस्तियों की वसूली के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित एक या अधिक उपाय किये जा सकते हैं;

(ए) उधारकर्ता द्वारा देय ऋणों के भुगतान की पुनर्व्यवस्था करना;

(बी) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिभूति में हित का प्रवर्तन (एनफोर्समेंट);

[20] 23 नवंबर 2017 को जारी परिपत्र सं.गैबैंविवि.निप्र.(एआरसी)सीसी.सं.04/26.03.001/2017-18 द्वारा जोड़ा गया।

(सी) उधारकर्ता द्वारा देय राशियों का निपटारा;

(डी) यहां ऊपर पैराग्राफ 6(बी)(1) और 6(बी)(2) में उल्लिखित अनुसार इस संबंध में बैंक द्वारा आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये जाने के बाद उधारकर्ता के कारोबार के संपूर्ण या उसके एक भाग के प्रबंधन में परिवर्तन या अधिग्रहण या बिक्री या पट्टे का अधिग्रहण;

[21] (ई) कर्ज के किसी हिस्से को उधारकर्ता कंपनी के शेयरों के रूप में परिवर्तन।

[22] (ii) एआरसी वित्तीय आस्तियों(परिसंपत्तियों) की वसूली की योजना तैयार करेगी जिसके अंतर्गत वसूली अवधि संबंधित वित्तीय आस्तियों के अर्जन की तारीख से किसी भी मामले में पांच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) एआरसी का निदेशक बोर्ड वित्तीय आस्तियों की वसूली की अवधि को इस प्रकार बढ़ा सकता है कि वसूली अवधि आस्ति के अर्जन की तारीख से अधिकतम आठ वर्षों से अधिक न हो।

(iv) ऐसे मामलों में जहाँ किसी समाधान योजना के अंतर्गत किसी खाते में एआरसी ऋणदाताओं में से कोई एक है एवं उपर्युक्त खंड (iii) के अनुसार इसमें एआरसी के लिए अधिकतम समाधान अवधि से परे चला जाता है, तो एआरसी अन्य प्रतिभूतित ऋणदाताओं के साथ समाधान अवधि को अपना सकती है।

(v) एआरसी का निदेशक बोर्ड प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा वित्तीय आस्तियों की वसूली के लिए उल्लिखित खंड (ii) या (iii) में वर्णित अवधि, जैसा भी मामला हो, में वसूली के लिए उठाए जाने वाले कदमों/उपायों को उल्लेख करेगा।

(vi) अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता विस्तारित अवधि की समाप्ति पर ही सरफेसी अधिनियम की धारा 7(3) के उपबंधों का अवलंबन लेने के हकदार होंगे, बशर्ते उक्त खंड (iii) के अंतर्गत वसूली की समय-सीमा में विस्तार किया गया हो।

---

[21] 23 जनवरी 2014 का परिपत्र सं. गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.35/एससीआरसी/26.03.001/2013-14 द्वारा जोड़ा गया।
[22] 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)8/सीजीएम(एएसआर) 2010 द्वारा प्रतिस्थापित

7. प्रतिभूतिकरण

[23](1) **एसआर जारी करना -** एआरसी, उक्त अधिनियम की धारा 7(1) और 7(2) के उपबंधों को, विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए स्थापित किए गये एक या अधिक न्यासों के माध्यम से लागू करेगी। यदि आस्तियों को सीधे न्यास/सों की बहियों में अर्जित नहीं किया गया है, तो एआरसी आस्तियों को उपर्युक्त न्यासों को उसी मूल्य पर हस्तांतरित करेगी, जिस पर वे प्रवर्तक (ऑरीजिनेटर) से अर्जित की गई थीं:

i. उक्त न्यास केवल विनिर्दिष्ट संस्थागत क्रेताओं को ही प्रतिभूति रसीदें जारी करेंगे; और उक्त वित्तीय आस्तियों को इन विनिर्दिष्ट संस्थागत क्रेताओं के लाभ के लिए रखेंगे और उनका प्रबंध करेंगे;

ii. इन न्यासों की न्यासधारिता उक्त एआरसी के पास रहेगी;

iii. प्रतिभूति रसीदें जारी करने वाली कोई एआरसी उक्त रसीदें जारी करने से पहले उक्त ट्रस्ट द्वारा बनायी गयी प्रत्येक योजना के अंतर्गत प्रतिभूति रसीदें जारी करने का प्रावधान करते हुए निदेशक मंडल के विधिवत् अनुमोदन से एक नीति बनायेगी;

iv. उपर्युक्त उप पैराग्राफ (iii) में संदर्भित नीति में यह प्रावधान किया जायेगा कि जारी की गयी प्रतिभूति रसीदें केवल अन्य विनिर्दिष्ट संस्थागत क्रेताओं को ही हस्तांतरणीय / समनुदेशन योग्य होंगी ।

[24](2) एआरसी द्वारा ट्रस्ट फ्लोट द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद में निवेश

एआरसी, धन हस्तांतरण से,प्रत्येक योजना के तहत जारी किए गए प्रत्येक वर्ग के एसआर का निरंतर आधार पर न्यूनतम 15% निवेश योजना के तहत उनके द्वारा जारी किए गए सभी एसआर का मोचन होने तक करेंगे।

[25](3) पुनर्निमाण वित्त समर्थन

निम्नलिखित शर्तों के अधीन एआरसी को क्यूआईबी द्वारा संबंधित योजना के तहत अर्जित की गई वित्तीय आस्ति पुनर्निमाण योजना के अंतर्गत जुटाई गई निधि के भाग का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है:

(i) रू 500 करोड़ से अधिक आस्ति अर्जित करने वाली प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निमाण कंपनी

---

[23] 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)8/सीजीएम(एएसआर) 2010 द्वारा प्रतिस्थापित
[24] 05 अगस्त 2014 का परिपत्र सं.गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.41/एससीआरसी/26.03.001/2014-15 द्वारा जोड़ा गया।
[25] 19 मार्च 2014 का परिपत्र सं.गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.37/एससीआरसी/26.03.001/2013-14 द्वारा जोड़ा गया।

(एससी/आरसी), ऐसी अर्जित निधि में से वित्तीय आस्ति पुनर्निमाण हेतु उस योजना के तहत निधि को फ्लोट कर सकती है जिसकी परिकल्पना उक्त अधिनियम की धारा 7(2) के अनुसार क्यूआईबी के अर्जित निधि के भाग के उपयोग के रूप में की गई है।

(ii) पुनर्निमाण के उद्देश्य से उपयोग में लाई जाने वाली निधि का विस्तार, उक्त अधिनियम की धारा 7(2) के अनुसार योजना के तहत जुटाई गई राशि का 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। पुनर्निमाण के उपयोग के उद्देश्य से अर्जित की गई निधि (25% की उच्चतम सीमा में) को योजना के प्रारंभ में बताया जाना चाहिए। इसके बाद पुनर्निमाण उद्देश्य से उपयोग में लाई जाने वाली निधि का लेखांकन अलग से किया जाना चाहिए।

(iii) प्रत्येक एआरसी को ऐसी योजनाओं के लिए क्यूआईबी से अर्जित निधि का उपयोग हेतु अपने निदेशक मंडल से विधिवत मंजूरी के साथ नीति बनाना चाहिए जिसमें विस्तृत मानदंड निहित हो।

(4) प्रकटीकरण

प्रतिभूति रसीदें जारी करने की इच्छुक प्रत्येक एआरसी अनुबंध में उल्लिखित अनुसार प्रकटीकरण करेगी|

[26]**(5)** अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता को उक्त अधिनियम के तहत रिज़र्व बैंक से एआरसी के रूप में पंजीजृत एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद में उनके निवेश का मूल्य जानने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए एआरसी को सूचित किया गया है कि वे नियमित अंतराल पर अपने द्वारा जारी एसआर की निवल आस्ति मूल्य की घोषणा करते रहे।

8. पूंजी पर्याप्तता की अपेक्षा

(i) प्रत्येक एआरसी निरंतर आधार पर पूंजी पर्याप्तता अनुपात कायम रखेगी जो उसकी कुल जोखिम भारित आस्तियों के पंद्रह प्रतिशत से कम नहीं होगा । जोखिम भारित आस्तियों की गणना तुलनपत्र की और तुलनपत्र के बाह्य मदों के सकल भार के रूप में यहां नीचे दिये ब्यौरे के अनुसार की जायेगी:

[26] 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)9/सीजीएम(एएसआर) 2010 द्वारा जोड़ा गया।

भारित जोखिम आस्तियां

तुलनपत्र की मदें	जोखिम भार का प्रतिशत
(ए) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों/नाबार्ड/सिडबी में नकदी और जमाराशि	0
(बी) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	0
(सी) अन्य एआरसी के शेयर में	0
(डी) अन्य सभी आस्तियां	100
तुलनपत्र बाह्य मदें	
सभी आकस्मिक देयताएं	50

9. निधियों का अभिनियोजन (डेप्ल्वायमेंट)

(i) कोई एआरसी प्रवर्तक के रूप में और कोई संयुक्त उद्यम(वेंचर) स्थापित करने के प्रयोजनार्थ आस्ति पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु बनायी गयी किसी एआरसी की इक्विटी शेयर पूंजी में निवेश कर सकती है;

[27](ii) कोई एआरसी अपने पास उपलब्ध अधिक धनराशियां इस संबंध में उसके निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की गयी नीति के अनुसार केवल सरकारी प्रतिभूतियों और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में जमाराशियों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या ऐसी ही अन्य संस्था जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, की जमाराशियों में भी नियोजित कर सकती हैं/ के रूप में रख सकती है;

[28] (iii) कोई एआरसी भूमि या भवन में निवेश नहीं करेगी,

परंतु शर्त यह है कि यह प्रतिबंध एआरसी द्वारा अपने उपयोग के लिए भूमि या भवन में निवेश की उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जो उसकी स्वाधिकृत निधि के 10% से अनधिक हो;

बशर्ते यह भी कि एआरसी द्वारा वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण के अपने सामान्य कारोबार के दौरान अपने दावों की पूर्ति के लिए, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, अर्जित भूमि या भवन पर लागू नहीं होगा।"

[27] 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना संगैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)8/सीजीएम(एएसआर) 2010 द्वारा प्रतिस्थापित
[28] 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना संगैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)8/सीजीएम(एएसआर) 2010 द्वारा प्रतिस्थापित

बशर्ते यह भी कि किसी एआरसी द्वारा वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण के अपने सामान्य कारोबार के संबंध में प्रतिभूति हितों को लागू करने के दौरान अर्जितभूमि और/ या भवन ऐसे अर्जन की तारीख से पांच वर्ष या रिज़र्व बैंक द्वारा एआरसी की प्राप्य राशियों की वसूली हेतु दी गई विस्तारित अवधि में बेच दी जाएगी।

[29](iv) एआरसी अपने बकाया ऋणों की उगाही के एकमात्र उद्देश्य के लिए अधिगृहीत ऋण खातों के पुनर्निर्माण के लिए अपने निधियों का विनियोजन कर सकती है।

10. लेखा वर्ष

प्रत्येक एआरसी प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के अनुसार अपना तुलनपत्र और हानि-लाभ खाता तैयार करेगी। एआरसी को सूचित किया जाता है कि वे अपने तुलन पत्र में एक वर्ष के अंदर की बकाया सभी देयताओं को "वर्तमान देयता" के रूप में वर्गीकृत करें तथा नकद और बैंक के समक्ष जमाशेष सहित एक वर्ष के अंदर परिपक्व होने वाली आस्तियों को "वर्तामन आस्ति" के रूप में वर्गीकृत करें। एसआर में निवेश करने पर पूंजी और आरक्षित को देयता की तरफ देयता माना जाए और बैंक के समक्ष सावधि जमाराशि को आस्ति के तरफ सावधि(फिक्स) आस्ति माना जाए।

11. आस्ति वर्गीकरण

(1) वर्गीकरण

(i) प्रत्येक एआरसी सुपरिभाषित ऋण कमजोरियों की मात्रा और वसूली के लिए प्रासंगिक जमानत पर निर्भर रहने की सीमा को ध्यान में रखते हुए [30][अपनी स्वयं की बहियों में धारित] आस्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करेगी, अर्थात्

(ए) मानक आस्तियां

(बी) अनर्जक आस्तियां

(ii) अनर्जक आस्तियों को आगे निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा

(ए)'अवमानक आस्ति' वह आस्ति है जिसे अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किये जाने की तारीख से 12 महीने से अधिक न हुआ हो;

(बी) 'संदिग्ध आस्ति' वह आस्ति है जिसे अवमानक आस्ति बने 12 महीने से अधिक हुआ हो;

---

[29] 22 अप्रैल 2009 को जारी परिपत्र सं.गैबैंपवि/निप्र (एससी/आरसी)सीसी.सं.13/26.03.001/2008-09 द्वारा जोड़ा गया

[30] 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)8/सीजीएम(एएसआर) 2010 द्वारा प्रतिस्थापित

[31](सी) "हानिगत आस्ति" यदि (ए) परिसंपत्ति 36 महीने से अधिक अवधि के लिए अनर्जक रहती है, (बी) प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट आने के कारण या प्रतिभूति के उपलब्ध न होने के कारण उसकी वसूली न होने के वास्तविक खतरे से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हो; (सी) एआरसी ने या उसके आंतरिक या वाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा आस्ति को "हानिगत आस्ति" के रूप में पहचाना गया हो; या (डी) प्रतिभूति रसीद सहित वित्तीय आस्ति पैराग्राफ 6(सी)(ii) या 6(सी)(iii) के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा निर्मित वसूली योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुल समय-सीमा में वसूली न जा सकी हो और एआरसी या उनके ट्रस्ट के पास लगातार धारण रही हो"।

(iii) एआरसी द्वारा आस्ति पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु अर्जित की गयी आस्तियों को योजना अवधि के दौरान, यदि कोई हो, मानक आस्तियों के रूप में माना जा सकता है।

(2) आस्ति पुनर्निर्माण पुनः सौदाकृत /पुनर्व्यवस्थित(रिशेड्यूल्ड) आस्तियां

(i) जब किसी एआरसी द्वारा मानक आस्ति से संबंधित ब्याज और/या मूलधन के संबंध में करार की शर्तों का फिर से सौदा किया गया हो या उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया गया हो (योजना अवधि के दौरान से अलग) तो संबंधित आस्ति को फिर से सौदा किये जाने / पुनर्व्यवस्थित किये जाने की तारीख से मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा या जैसी भी स्थिति हो उसे संदिग्ध आस्ति के रूप में बने रहने दिया जायेगा।

(ii) उक्त आस्ति को पुनः सौदा की हुई /पुनर्व्यवस्थित शर्तों के अनुसार 12 महीने की अवधि के लिए संतोषजनक कार्यनिष्पादन के बाद ही मानक आस्ति के रूप में उन्नत किया जा सकता है।

(3) प्रावधानीकरण की अपेक्षाएं

प्रत्येक एआरसी अनर्जक आस्तियों के लिए निम्नानुसार प्रावधान करेगी:-

आस्ति की श्रेणी	**अपेक्षित प्रावधान**	
अवमानक आस्तियां	बकाया राशि पर 10% का सामान्य प्रावधान	
संदिग्ध आस्तियां	(i)	उस सीमा तक 100% प्रावधान जिसके लिए आस्ति, प्रतिभूति के प्राक्कलित वसूली योग्य मूल्य से आवरित नहीं होती है

[31] 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)8/सीजीएम(एएसआर) 2010 द्वारा संशोधित

	(ii)	उपर्युक्त मद (i) के अलावा, शेष बकाया राशि का 50%
हानिगत आस्तियां	संपूर्ण आस्ति को बट्टे खाते में डाला जायेगा।	
	(यदि किसी कारण से उक्त आस्ति को बहियों में रखा जाता है तो उसके लिए 100% का प्रावधान किया जायेगा)	

12. निवेश

[32](i) एसआर में निवेश की प्रकृति पर विचार करते हुए जहां अंतर्निहित नकद प्रवाह अर्नजक आस्तियों के उगाही पर निर्भर करता है, इसे बिक्री हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अत: एसआर में निवेश को श्रेणी के तहत निवेश के निवल मूल्य ह्रास /निवल मूल्य वृद्धि तक पहुंचाने के प्रयोजन से समेकित किया जा सकता है। यदि कोई निवल मूल्यह्रास है तो उसे उपलब्ध कराया जाए। यदि कोई निवल मूल्य वृद्धि है तो उसे नज़रअंदाज किया जाए।

(ii) सभी निवेशों का मूल्य, लागत या वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो उस पर किया जायेगा। जहां पर बाज़ार की दरें उपलब्ध हों वहां बाज़ार मूल्य को वसूली योग्य मूल्य माना जायेगा और ऐसी स्थिति में जब बाज़ार की दरें उपलब्ध नहीं हो तो वसूली योग्य मूल्य उचित मूल्य (फेयर वेल्यू) होगा। परंतु अन्य पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी में निवेशों को दीर्घकालीन निवेश माना जायेगा और उनका मूल्यन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गये लेखा मानकों और मार्गदर्शी नोटों के अनुसार किया जायेगा।

13. आय-निर्धारण

[33](i) प्रतिभूति रसीदों के संपूर्ण मूलधन राशि का पूर्ण मोचन के बाद ही प्रतिफल (*Yield)* का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह 2014-15 से लागू होगा।

(ii) प्रतिभूति रसीदों का पूर्ण मोचन के बाद ही अपसाइड (*Upside)* आय का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह 2014-15 से लागू होगा।

[34](iii) प्रबंधन फीस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (सीआरए) द्वारा निर्दिष्ट नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) के प्रतिशत के रूप में निर्दिष्ट एनएवी की सीमा के निचले अंत में गणना और वसूल किया जाना चाहिए हालांकि इसे अंतर्निहित परिसंपत्ति के अधिग्रहण के मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि, प्रबंधन फीस,

[32] 23 अप्रैल 2014 का परिपत्र सं.गैबैंपवि(नीप्र)सं.38/एससीआरसी/26.03.001/2013-14 द्वारा जोड़ा गया।
[33] 23 अप्रैल 2014 का परिपत्र सं.गैबैंपवि(नीप्र)सं.38/एससीआरसी/26.03.001/2013-14 द्वारा जोड़ा गया।
[34] 05 अगस्त 2014 की अधिसूचना सं:गैबैंपवि(नीप्र-एससी/आरसी)सं.11/पीसीजीएम(केवीवी)-2014 द्वारा जोड़ा गया।

एसआर का एनएवी की उपलब्धता से पहले एसआर के वास्तविक बकाया मूल्य के प्रतिशत के रूप में गिना जाना चाहिए।

उपचय आधार पर प्रबंधन शुल्क का निर्धारण किया जाए। योजना अवधि के दौरान निर्धारित प्रबंधन शुल्क को योजना अवधि की समाप्ति की तारीख से 180 दिनों के अंदर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए। योजना अवधि के बाद निर्धारित प्रबंधन शुल्क को निर्धारित की जाने की तारीख से 180दिनों के अंदर प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके बाद अप्राप्त प्रबंधन शुल्क को आरक्षित किया जाए। इसके अतिरिक्त यदि प्राप्ति हेतु निर्धारित समय से पूर्व कोई अप्राप्त प्रबंधन शुल्क आरक्षित होगा तो वह एसआर के एनएवी के अंकित मूल्य के 50% से नीचे गिर जाएगा। तथापि, एससी/आरसी 31 मार्च 2014 के पूर्व की प्राप्य राशियां उपार्जित अप्राप्त प्रबंध शुल्क को दो साल की अवधि में चार छमाही किस्त में एक चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की अनुमति है, वर्ष 2014-15 और 2015-16 के संबंध में ऐसी प्राप्य राशियां कंपनी के तुलन पत्र में प्रकटीकरण के अधीन होंगे।

(iv) आय-निर्धारण मान्यता प्राप्त लेखांकन सिद्धांतों पर आधारित होगा;

(v) आईसीएआई द्वारा जारी किये गये सभी लेखा मानकों और मार्गदर्शी नोटों का, वहां तक पालन किया जायेगा, जहां तक वे यहां निहित/दिए गए इन मार्गदर्शी सिद्धांतों और निदेशों से असंगत नहीं हों;

(vi) सभी अनर्जक आस्तियों के संबंध में ब्याज और किसी अन्य प्रभार को तभी आय खाते में लिया जायेगा जब वे वास्तव में वसूल हो गये हों। किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा आस्ति के अनर्जक होने से पहले वसूलनीय मानी गयी किन्तु अप्राप्त रही ऐसी आय को अनिर्धारित/अमान्य कर दिया जायेगा।

14. तुलनपत्र में प्रकटीकरण

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की अपेक्षाओं के अतिरिक्त प्रत्येक एआरसी निम्नलिखित अनुसूचियां तैयार करेगी और उन्हें अपने-अपने तुलनपत्र के साथ अनुबंध के रूप में लगायेंगी;

जारी रखे गए प्रकटीकरण

(i) उन बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के नाम और पते जिनसे वित्तीय आस्तियां अर्जित की गयी हैं और वे मूल्य जिस पर ऐसी आस्तियां प्रत्येक ऐसे बैंक / वित्तीय संस्था से अर्जित किये गये थे;

(ii) विभिन्न वित्तीय आस्तियों का उद्योगवार और प्रवर्तकवार फैलाव (फैलाव कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में इंगित किया जाना है);

(iii) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानकों और मार्गदर्शी नोटों के अनुसार संबंधित पक्षों का ब्यौरा और उनको देय और उनसे प्राप्य राशियां;

(iv) चार्ट में स्पष्ट रूप से मानक से अनर्जक के रूप में वित्तीय आस्तियों के अंतरण को दर्शाते हुए एक विवरण;

[35][(v) वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी बहियों या ट्रस्ट की बहियों में अर्जित वित्तीय आस्तियों का मूल्य;

(vi) वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय आस्तियों से हुई वसूली का मूल्य;

(vii) वित्तीय वर्ष के अंत में वसूली के लिए शेष वित्तीय आस्तियों का मूल्य;

(viii) वित्तीय वर्ष के दौरान अंशत: अदा की गई प्रतिभूति रसीदों तथा पूर्णत: अदा हुई प्रतिभूति रसीदों का मूल्य;

(ix) वित्तीय वर्ष के अंत में अदा होने के लिए लंबित प्रतिभूति रसीदों का मूल्य;

(x) पैराग्राफ 6(सी)(ii) या 6(सी)(iii) के अंतर्गत एआरसी द्वारा वित्तीय आस्तियों की वसूली के लिए निर्मित नीति के अंतर्गत वसूली न हो पाने के कारण जिन प्रतिभूति रसीदों की अदायगी नहीं हो सकी, उनका मूल्य;

(xi) परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के (वर्ष-वार) सामान्य कारोबार के अंतर्गत अर्जित भूमि एवं/या भवन का मूल्य।;]

[35] 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)8/सीजीएम(एएसआर)-2010 द्वारा जोड़ा गया।

[36](xii) संपत्ति के मूल्यांकन का आधार अगर संपत्ति का अधिग्रहण मूल्य पुस्तक मूल्य से अधिक है;

(xiii) पिछले साल के अंत के रूप में मूल्यांकन के 20% से अधिक की छूट पर वर्ष के दौरान निपटाए परिसंपत्ति (या तो बट्टे खाते डालकर या वसूली से) के विवरण और उसके कारण;

(xiv) परिसंपत्ति का ब्यौरा जहां एसआर के मूल्य मे अधिग्रहण मूल्य से 20% से अधिक गिरावट आई है।

(2) (i) वित्तीय विवरणों के तैयार करने और उनके प्रस्तुत करने में अपनायी गयी लेखांकन की नीतियां बैंक द्वारा निर्धारित किये गये लागू विवेकसम्मत मानदंडों के अनुरूप होंगी;

(ii) जहां पर उक्त लेखांकन नीतियों में से कोई नीति इन निदेशों के अनुरूप न हो तो इन निदेशों से हटने के विवरणों का उसके कारणों सहित और उनके कारण होने वाले वित्तीय प्रभाव का ब्योरा दिया जायेगा। जब ऐसा कोई प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता हो तो उसके कारणों का उल्लेख करते हुए यह तथ्य उस रूप में प्रकट किया जाना चाहिए;

(iii) तुलनपत्र या लाभ और हानि लेखे में किसी मद के अनुचित व्यवहार को न तो प्रयोग में लायी गयी लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से और न तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखेगत नोटों में प्रकटीकरण से परिशोधित हो गया माना जा सकता है।

15. आंतरिक लेखापरीक्षा

प्रत्येक एआरसी अपने द्वारा अपनायी गयी आस्ति अभिग्रहण क्रियाविधियों और आस्ति पुनर्निर्माण के उपायों तथा उससे संबंधित मामलों की आवधिक रूप से जांच और समीक्षा के लिए प्रावधान करते हुए एक कारगर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करेगी।

16. छूट

बैंक को यदि यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एआरसी को किसी परेशानी से बचाने के लिए अथवा किसी उचित और पर्याप्त कारण के लिए, सभी एआरसी या किसी विशेष एआरसी या एआरसी के किसी वर्ग को, ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह लगाना चाहे या तो सामान्य रूप से या किसी विशेष अवधि के लिए इन मार्गदर्शी सिद्धांतों और निदेशों के सभी अथवा किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकता है।

[36] 05 अगस्त 2014 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि(नीप्र-एससी/आरसी)सं.11/पीसीजीएम(केवीवी)-2014 द्वारा जोड़ा गया।

17. तिमाही विवरणी प्रस्तुत करना

[37]एआरसी को सूचित किया जाता है कि वे मास्टर निदेश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी रिटर्न (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, समय-समय पर यथासंशोधित में उल्लिखित निर्देशों का पालन करें।

18. लेखा परीक्षित तुलन पत्र की प्रस्तुति

[38]सभी एआरसी को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष वार्षिक आम बैठक के एक माह के अंदर निदेशक रिपोर्ट/लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षित तुलन पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाए, जिसमें लेखा परीक्षित लेखा शामिल किया गया हो। उक्त रिपोर्ट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के उस पर्यवेक्षण विभाग को प्रस्तुत करें जहाँ यह पंजीकृत है।

[39]19. क्रेडिट इंफर्मेशन कंपनियों को जानकारी प्रस्तुत करना :-

(1) प्रत्येक एआरसी को न्यूनतम एक क्रेडिट इंफर्मेशन कंपनी (सीआईसी) का सदस्य बनना होगा जिसने प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 5 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

(2) एआरसी समय-समय पर उस सीआईसी को उधारकर्ताओं का सटिक डाटा/इतिहास उपलब्ध करायेंगी जिसकी वह सदस्य है।

(3) एआरसी प्रत्येक वर्ष के मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर की समाप्ति पर इरादतन चूककर्ता की सूची सीआईसी को उपलब्ध करायेंगी जिसकी वह सदस्य है।

(4) सभी एआरसी को इरादतन चूककर्ता के संबंध दायर मुकदमे की सूची अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा।
इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, "इरादतन चूककर्ता" पद का वही अर्थ होगा जो विनियमन विभाग द्वारा बैंकों को जारी किए गए परिपत्रों में उस अभिव्यक्ति के लिए दिया गया है।

20. अधिनियम के तहत स्थापित केन्द्रीय रजिस्ट्री लेनदेन का विवरण प्रस्तुत करना

एआरसी प्रतिभूतिकरण, से संबन्धित सभी लेनदेन, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति लाभ, यदि कोई हो, के सृजन से संबन्धित विवरण को केंदीय रजिस्टरी में फाइल करेगी और रजिस्टर करेगी।

---

[37] 29 सितंबर 2016 को जारी मास्टर निदेश गैबैंपवि.पीपीडी.02/66.15.001/2016-17 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
[38] 29 मार्च 2004 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि4/ईडी(एसजी)/2004 द्वारा जोड़ा गया।
[39] 07 अगस्त 2014 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि(नीप्र-एससी/आरसी)सं12 द्वारा जोड़ा गया।

[40]**21. इंफोर्मेशन युटिलिटी को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करना**

शीर्षांकित विषय पर दिनांक 19 दिसंबर 2017 को जारी परिपत्र बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.98/09./08.019/2017-18 में उल्लिखित निर्देश सभी पंजीकृत एआरसी पर लागू होंगे।

[41]**22. भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को रिपोर्टिंग** – एआरसी को आईबीए को अनुशासनहीन सनदी लेखाकार , अधिवक्ता और मूल्यांकन करने वाले का ब्यौरा (जो अपने पेशेवर सेवाएं प्रदान करने में गंभीर अनियमितता कर रहे हैं) धोखाधड़ी में शामिल थर्ड पार्टी संस्थाओं की जानकारी आईबीए डेटाबेस में शामिल करने के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। हालांकि, एआरसी को सावधानी से सुनिश्चित करना है कि आईबीए द्वारा जारी प्रक्रियात्मक दिशा निर्देशों (Circ. No. RB-II/Fr./Gen/3/1331 दिनांक 27 अगस्त 2009) का पालन हो और आईबीए को रिपोर्टिंग से पहले अपनी कार्रवाई का औचित्य साबित करने के लिए पार्टियो को उनकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक निष्पक्ष अवसर देना चाहिए। यदि कोई जवाब / संतोषजनक स्पष्टीकरण एक महीने के भीतर उन लोगों से प्राप्त नहीं होता है तो एआरसी आईबीए को उनके नाम रिपोर्ट कर सकते हैं। एआरसी भविष्य में इस तरह की पार्टियों को कोई काम आवंटित करने से पहले इस पहलू पर विचार करना चाहिए।

[42]**23. शेयरों के अंतरण द्वारा प्रबंधन में किसी प्रकार का पर्याप्त परिवर्तन हेतु बैंक से पूर्वानुमति लेना**

अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्धारित नियम और शर्तों में निहित विपरित तथ्यों के बावजूद भी, एआरसी को अंतरण हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति लेनी होगी जिसके परिणामस्वरूप केवल निम्नलिखित मामलों के प्रबंधन में पर्याप्त परिवर्तन होता है:

i. शेयर अंतरण का ऐसा प्रकार जिसके द्वारा अंतरिती प्रायोजन बन जाता है।

ii. शेयर अंतरण का ऐसा प्रकार जिसके द्वारा अंतरणकर्ता का प्रायोजक समाप्त हो जाता है।

iii. पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रारंभ होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के दौरान प्रायोजक द्वारा एआरसी के कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का दस प्रतिशत अथवा उससे अधिक का समग्र अंतरण।

स्पष्टीकरण :- इस क्लॉज के प्रयोजनार्थ, एआरसी द्वार कुल प्रदत्त शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक अंतरण को अंतरण माना जाएगा यदि प्रायोजक द्वारा किया गया सभी अंतरण उस अंतरण के पूर्व किया गया हो और जिसमें एआरसी के कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का दस प्रतिशत तथा उससे अधिक का अंतरण शामिल हो।

---

[40] 04 जनवरी 2018 को जारी परिपत्र सं.गैबैंविवि.निप्र (एआरसी)सीसी सं.05/26.03.001/2017-18 द्वारा शामिल किया गया।
[41] 05 अगस्त 2014 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि(नीप्र-एससी/आरसी)सं.011/पीसीजीएम(केकेवी)-2014 द्वारा जोड़ा गया।
[42] 24 फरवरी 2015 की अधिसूचना सं.गैबैंविवि(नीप्र-एससी/आरसी)सं.01/सीजीएम(सीडीएस)/2014-15 द्वारा जोड़ा गया।

24. प्रायोजकों/निवेशकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड

[43](1) मास्टर निदेश - प्रायोजकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश 2018, समय-समय पर यथासंशोधित के प्रावधान एआरसी के मौजूदा और प्रस्तावित प्रायोजकों पर लागू होंगे।

[44](2) सभी एआरसी बैंक के परिपत्र विवि.केंका.एलआईसी.कंपरि.सं.119/03.10.001/2020-21, फरवरी 12, 2021 समय-समय पर यथासंशोधित में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन करेंगी।

[45]25. उचित व्यवहार संहिता

सभी हितधारकों के साथ कारोबार करते समय पारदर्शिता और निष्पक्षता के उच्चतम मानक को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को सूचित किया जाता है कि वे अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'उचित व्यवहार संहिता' (एफ़पीसी) लागू करें। निम्नलिखित पैराग्राफ में न्यूनतम विनियामक अपेक्षाएं सम्मिलित हैं जबकि एआरसी के बोर्ड इसके क्षेत्र और विस्तार को और व्यापक करने के लिए स्वतंत्र हैं। एफ़पीसी का सही मायनों में अनुपालन होना चाहिए और बोर्ड को इसके विकास और उचित कार्यान्वयन में हमेशा अवश्य शामिल होना चाहिए। सभी हितधारकों की सूचना के लिए एफ़पीसी को पब्लिक डोमेन में रखा जाना चाहिए।

(1) आस्तियों के अधिग्रहण में एआरसी पारदर्शी और भेदभाव रहित प्रथाओं का पालन करेगी। इन्हें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पर्याप्त दूरी बनाए रखना होगा |

(2) प्रतिभूतित आस्तियों की बिक्री की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए,

(i) नीलामी में भाग लेने के लिए निमंत्रण सार्वजनिक रूप से मंगाई जाए; प्रक्रिया अधिक से अधिक संभावित खरीदारों की भागीदारी सुनिश्चित करे;

(ii) इस प्रकार की बिक्री के लिए नियम व शर्तों के संबंध में निर्णय लेते समय सरफेसी अधिनियम 2002 के अनुसार प्रतिभूति रसीद के निवेशकों के साथ व्यापक परामर्श किया जाना अपेक्षित है;

(iii) संभावित खरीदारों के साथ व्यवहार करते समय दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29A की भावना का पालन किया जाए।

---

[43] 25 अक्तूबर 2018 को जारी मास्टर निदेश गैबैंपवि.निप्र (एआरसी) सीसी.सं06./26.03.001/2018-19 द्वारा जोड़ा गया।
[44] 12 फरवरी 2021 को जारी परिपत्र सं.विविकेंका.एलआईसी.सीसी.सं.119./03.10.001/2020-21 द्वारा जोड़ा गया।
[45] 16 जुलाई 2020 को जारी परिपत्र विवि.निप्र (एआरसी) सीसी.सं09/26.03.001/2020-21 द्वारा जोड़ा गया।

(3) एआरसी बकाया राशि के पुनर्भुगतान पर या ऋण की बकाया राशि की प्राप्ति पर सभी प्रतिभूतियां जारी करेगी, बशर्ते कि उधारकर्ता पर किसी अन्य दावे से संबन्धित कोई वैध अधिकार या धारणाधिकार ना हो। यदि इस प्रकार समंजन किया जाता है तो शेष दावों और एआरसी को संबन्धित दावों के निपटान/चुकौती तक प्रतिभूतियों को रखने के लिए पात्र बनाने वाली शर्तों का पूर्ण विवरण सहित नोटिस उधारकर्ता को देना होगा।

(4) एआरसी प्रबंधन शुल्क, व्यय और प्रोत्साहन राशि, यदि कोई हो तो, जो उनके प्रबंधन वाले ट्रस्टों से दावा किया जाता है, के संबंध में बोर्ड से अनुमोदित नीति लागू करेगी। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति पारदर्शी होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रबंधन शुल्क उचित एवं वित्तीय लेनदेन के अनुपात में है।

(5) अपनी किसी भी गतिविधि को आउटसोर्स करने के इच्छुक एआरसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक आउटसोर्सिंग नीति लागू करेंगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी गतिविधियों एवं सेवा प्रदाताओं के चयन संबधि प्रक्रिया के लिए मानदंड, जोखिम और भौतिकता के आधार पर प्राधिकरण का प्रतिनिधिमंडल तथा इन गतिविधियों/सेवाप्रदाताओं के संचालन की निगरानी और समीक्षा शामिल है। एआरसी यह सुनिश्चित करेगी कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था के कारण अपने ग्राहकों और रिजर्व बैंक के प्रति उनके दायित्वों को पूरा करने की क्षमता में न कमी आये और न ही रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण में बाधा उत्पन्न हो। आउटसोर्स एजेंसी का स्वामित्व/नियंत्रण यदि एआरसी के किसी निदेशक के पास है, तो यह सूचना मास्टर परिपत्र में विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षाओं में सम्मिलित किया जाए।

(6) ऋण वसूली के मामले में, एआरसी देनदारों के उत्पीड़न का सहारा नहीं लेगी। एआरसी यह सुनिश्चित करेगी कि उचित तरीके से ग्राहकों से निपटने के लिए कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाए।

(i) एआरसी वसूली एजेंटों के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक आचार संहिता लागू करेगी और उस संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए उनसे लिखित वचन लेगी । प्रमुख होने के नाते, अपने वसूली एजेंटों की कार्रवाइयों के लिए एआरसी जिम्मेदार होगी।

(ii) यह आवश्यक है कि वसूली एजेंट ग्राहक गोपनीयता का कड़ाई से पालन करें।

(iii) एआरसी यह सुनिश्चित करेगी कि वसूली एजेंट अपनी जिम्मेदारियों को सावधानी और संवेदनशीलता के साथ निभाने के लिए, विशेषरूप से फोन करने का समय, ग्राहक की सूचनाओं की गोपनीयता आदि के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वसूली एजेंट असभ्य, गैरकानूनी और संदिग्ध व्यवहार अथवा वसूली प्रक्रिया को न अपनाएं।

[46](iv) एआरसी यह सुनिश्चित करेगी कि वे या उनके प्रतिनिधि अपने ऋण वसूली प्रयासों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या शारीरिक रूप से किसी भी तरह की धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं ले, जिसमें सार्वजनिक रूप से अपमानित करना या देनदारों के परिवार के सदस्यों, निर्देशी और दोस्तों की गोपनीयता में दखल देना, मोबाइल पर या सोशल मीडिया के माध्यम से अनुचित संदेश भेजना, धमकी देना और / या गुमनाम कॉल करना, लगातार[47] उधारकर्ता को कॉल करना और / या अतिदेय ऋणों की वसूली के उद्देश्य से उधारकर्ता को सुबह 8:00 बजे से पहले और शाम 7:00 बजे के बाद कॉल करना, झूठे और भ्रामक अभ्यावेदन करना, आदि शामिल है।

(7) एआरसी को संगठन के भीतर शिकायत निवारण तंत्र का गठन करना चाहिए। एआरसी के नामित शिकायत निवारण अधिकारी के नाम और संपर्क नंबर का उल्लेख उधारकर्ताओं के साथ पत्राचार में किया जाना चाहिए। नामित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सही शिकायतों का निपटारा तुरंत किया जाए। एआरसी की शिकायत निवारण प्रणाली आउटसोर्स एजेंसी और वसूली एजेंटों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, यदि कोई हो तो, से संबंधित समस्याओं का भी समाधान करेगी।

(8) एआरसी केवल निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, अपने व्यवसाय के दौरान प्राप्त सूचनाओं की गोपनीयता, हमेशा बनाए रखेगी और समूह में अन्य कंपनियों सहित किसी को भी इसका खुलासा नहीं करेगी- (i)विधिक अपेक्षा (ii) सूचना प्रकट करने के लिए जनता के प्रति कर्तव्य या (iii) उधारकर्ता की अनुमति ।

(9) एफपीसी का अनुपालन बोर्ड द्वारा आवधिक समीक्षा के अधीन होगा।

****

[46] 12 अगस्त 2022 को जारी परिपत्र विवि.ओआरजी.आरईसी.65/21.04.158/2022-23 द्वारा जोड़ा गया
[47] बार-बार कॉल करना

अनुबंध

(1) प्रस्ताव दस्तावेज़ में प्रकटीकरण

ए. प्रतिभूति रसीदें जारी करने वाले से संबंधित

i. पंजीकृत कार्यालय का नाम, स्थान, निगमन की तारीख, प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के कारोबार आरंभ करने की तारीख;

ii. प्रवर्तकों, शेयरधारकों के विवरण और प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के निदेशक मंडल में, उनकी योग्यताओं और अनुभव के साथ निदेशकों की संक्षिप्त रूपरेखा;

iii. पिछले तीन वर्षों की अथवा कंपनी का कारोबार आरंभ होने की तारीख में से, जो भी बाद में हो, कंपनी की वित्तीय सूचना का सारांश;

iv. पिछले तीन वर्षों अथवा कारोबार आरंभ करने की तारीख से, जो भी बाद में हुआ हो, प्रतिभूतिकरण/आस्ति पुनर्निर्माण के यदि कोई कार्यकलाप किये गये हों तो उनका ब्योरा।

v. क्या इस योजना के तहत, जुटाई गई रकम के एक हिस्से को अधिग्रहित वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन के लिए उपयोग करने की परिकल्पना की गई है? यदि हां, तो पुनर्गठन प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा जो जुटाई गई राशि का प्रतिशत है।

बी. <u>प्रस्ताव की शर्तें</u>

i. प्रस्ताव के उद्देश्य;

ii. लिखत का विवरण, इस आशय के एक प्राक्कथन के साथ कि प्रतिभूति रसीदों का हस्तांतरण निर्दिष्ट संस्थागत क्रेताओं तक ही सीमित है, उसके स्वरूप, मूल्यवर्ग, निर्गम मूल्य आदि से संबंधित ब्योरे देते हुए;

iii. आस्तियों के प्रबंधन के लिए की गयी व्यवस्थाएं और प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा ली जाने वाली प्रबंध शुल्क की सीमा;

iv. ब्याज दर /संभावित प्रतिफल;

v. मूलधन /ब्याज के भुगतान की शर्तें, अवधिपूर्णता/मोचन की तारीख;

vi. शोधन तथा प्रशासन व्यवस्था;

vii. साख निर्धारण का ब्योरा, यदि कोई हो, और उक्त निर्धारण के लिए औचित्य का सारांश;

viii. उन आस्तियों का विवरण जिनका प्रतिभूतिकरण किया जाना है;

ix. आस्ति समूह का भौगोलिक वितरण;

x. आस्ति समूह की अवशिष्ट अवधिपूर्णता, ब्याज दरें, बकाया मूलधन;

xi. अंतर्निहित प्रतिभूति का स्वरूप और मूल्य, संभावित नकदी प्रवाह, उनकी मात्रा और समय, साख वृद्धि के उपाय;

xii. आस्तियों के अभिग्रहण की नीति और अपनायी गयी मूल्यन की पद्धति;

xiii. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से आस्तियों के अभिग्रहण की शर्तें;

xiv. प्रवर्तकों (ओरिजिनेटर) के पास कार्यनिष्पादन के अभिलेख का ब्यौरा;

xv. आस्ति समूह में आस्तियों को बदलने की शर्तें;

xvi. जोखिम फैक्टरों का विवरण, विशेष रूप से भविष्य के नकदी प्रवाहों से संबंधित और उक्त जोखिमों को कम करने के लिए किये गये उपाय**;**

xvii. चूक होने की स्थिति में आस्ति पुनर्निर्माण उपायों को लागू करने के लिए की गयी व्यवस्थाएं, यदि कोई हों;

xviii. न्यासी के कर्तव्य;

xix. आस्ति पुनर्निर्माण के विशिष्ट उपाय, यदि कोई हों, जिनके संबंध में निवेशकों से अनुमोदन लिया जायेगा;

xx. विवाद निवारण प्रक्रिया।

(2) **तिमाही आधार पर प्रकटीकरण**

(i) तिमाही के दौरान हुई कोई चूक, पूर्व भुगतान, हानियां;

(ii) साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) में हुआ परिवर्तन, यदि कोई हो;

(iii) वर्तमान आस्ति समूह में नयी आस्ति आने या आस्तियों की वसूली होने से आस्तियों की रूपरेखा(प्रोफाइल) में परिवर्तन;

(iv) वर्तमान और पिछली तिमाही का संग्रहण(कलेक्शन) सारांश;

(v) अर्जन की संभावनाओं को प्रभावित करने वाली कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना जिससे निर्दिष्ट संस्थागत क्रेताओं पर प्रभाव पड़ता हो।

पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए मार्गदर्शी नोट

रिज़र्व बैंक ने एक मार्गदर्शी नोट तैयार किया है, जिसका सार नीचे दिया गया है। इन नोटों में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ हैं जो अधिनियम में हैं।

(1) वित्तीय आस्तियों का अर्जन

i. प्रत्येक प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी से अपेक्षित है कि वह पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रापित की तारीख से 90 दिनों के अंदर आस्ति अर्जन नीति विकसित/तैयार करे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख होगा कि लेन-देन का तरीका पारदर्शी होगा एवं भली-भांति सूचित (वेल इनफार्म्ड) बाजार में वे उचित मूल्य पर होंगे, साथ ही पर्याप्त सावधानी बरतते समय लेन-देन का कार्य निष्पक्ष/निरपेक्ष (on arms length basis) होगा।

ii. किसी बैंक/वित्तीय संस्था की वित्तीय आस्तियों के अर्जित किए जाने वाले शेयरों को, उल्लिखित अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, उचित एवं निष्पक्ष तरीके से निकाला (वर्क आउट किया) जाएगा जिसमें किसी उधारकर्ता पर बकाया राशि के 60% से अन्यून राशि के धारक रक्षित लेनदारों (सिक्योर्ड क्रेडिटर्स) की सहमति लेना आवश्यक है।

iii. सरल एवं त्वरित वसूली के लिए, विभिन्न बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के प्रति ऋणी किसी कर्जदार से मिलने वाली सभी आस्तियों के अर्जन पर विचार किया जाए। इसी प्रकार उसी संपार्श्विक प्रतिभूति से संबंध रखनेवाली वित्तीय आस्तियों के अर्जन पर विचार किया जाए ताकि तुलनात्मक रूप से त्वरितता एवं सुगमता से वसूली हो सके।

iv. अर्जित की जानेवाली आस्तियों की सूची में निधि व गैर निधि आधार वाली आस्तियों, दोनों को शामिल किया जाए। मूलकर्ता (ओरिजनेटर) की बहियों में मानक रही आस्तियों, जिनकी वसूली बाद में मुश्किल हो सकती है, को भी अर्जित किया जा सकता है।

v. किसी बैंक/वित्तीय संस्था की निधिक आस्तियों के अर्जन में आगे उधार देने के वायदे को टेकओवर करते समय शामिल न किया जाए। गैर निधिक लेन-देनगत प्रतिभूति हित अर्जन की शर्त में निधियों की मांग उठने तक संबंधित वायदे बैंक/वित्तीय संस्था के पास उपलब्ध रहेंगे।

vi. जो ऋण उचित दस्तावेजों से समर्थित न हों, उनसे बचना (दूर रहना) चाहिए।

vii. जहाँ तक संभव हो एक ही प्रकार की प्रोफाइल की आस्तियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया समान हो एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि वित्तीय आस्तियों का मूल्यांकन वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष तरीके से किया जाए। आस्तियों के मूल्य के आधार पर उनका मूल्यांकन आंतरिक रूप में (स्वत:)/बाहर की एजेंसी से करवा लेना चाहिए। आदर्श स्थिति होगी यदि मूल्यांकन उस समिति से करवाया जाए जिसे आस्तियों को अर्जित करने के लिए अनुमोदन देने का प्राधिकार दिया गया है जो निदेशक बोर्ड द्वारा विनिर्दष्ट अर्जन नीति के तहत इस कार्य को अंजाम देगी।

viii. एआरसी द्वारा अर्जित आस्तियाँ एआरसी द्वारा बनाए गए न्यास (ट्रस्ट) को उसी मूल्य पर अंतरित की जाएं जिस मूल्य पर वे आस्तियों के मूलकर्ता (ओरिजिनेटर) से ली गई हों। तथापि, एआरसी द्वारा बनाए गए न्यास (ट्रस्ट) की बहियों में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अर्जित आस्तियों को सीधे लेने पर प्रतिबंध नहीं है।

(2). प्रतिभूति रसीदें जारी करना

(i) प्रत्येक एआरसी प्रतिभूति रसीदें जारी करने के ही प्रयोजन से स्थापित ट्रस्ट के माध्यम से उन्हें जारी करेगी। ऐसे ट्रस्ट की न्यासधारिता एआरसी में ही निहित होगी।

(ii) ट्रस्ट प्रतिभूति रसीदें अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही जारी करेगा और ये केवल अन्य अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं के पक्ष में ही अंतरणीय/समनुदेशनीय होंगी।

(iii) प्रतिभूति रसीदें जारी करने की इच्छुक प्रत्येक एआरसी प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकटीकरण करेगी जिसे बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट किया गया हो।

[48][(iv) एआरसी और रेटिंग एजेंसी के बीच समानता और हितों का टकराव, यदि कोई हो, का प्रकटन किया जाना चाहिए।

(v) एसआर की विशिष्ट विशेषताएँ

(a) एसआर को कड़ाई से ऋण लिखतों के रूप में चिह्नित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे इक्विटी और ऋण दोनों की विशेषताओं को जोड़ते हैं। तथापि, इन्हें प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रतिभूतियों के रूप में मान्यता प्राप्त है।

(b) अंतर्निहित आस्तियों से नकदी प्रवाह को मूल्य और अंतराल के रूप में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(c) इन लिखतों को जब रेटेड किया जाएगा तो समान्यतः इन्हें निवेश ग्रेड से नीचे किया जाएगा। इन लिखतों को निजी रूप में रखा जाएगा।

(vi) एसआर की रेटिंग/ग्रेडिंग

[49](ए) प्रत्येक एआरसी आस्तियों के अधिग्रहण की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर [50][सेबी पंजीकृत] सीआरए से एसआर की प्रारंभिक रेटिंग / ग्रेडिंग प्राप्त करेगा और इसके द्वारा जारी किए गए एसआर के एनएवी की तत्काल घोषणा करेगा। तत्पश्चात्, एआरसी द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 जून और 31 दिसंबर को पंजीकृत सीआरए से एसआर की रेटिंग/ग्रेडिंग की समीक्षा करवाया जाएगा और तत्काल एसआर के एनएवी की घोषणा की

[48] 28 मई 2007 को जारी दिशानिर्देश गैबैंपवि (निप्र) सीसी.सं.6/एससीआरसी/10.30.049/2006-2007 के माध्यम से जोड़ा गया।
[49] 05 अगस्त 2014 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि (नीप्र-एससी/आरसी) सं. 011/पीसीजीएम(केकेवी)-2014 द्वारा जोड़ा गया।
[50] 28 मई 2007 को जारी दिशानिर्देश गैबैंपवि (निप्र) सीसी. सं. 6/एससीआरसी/10.30.049/2006-2007 के माध्यम से जोड़ा गया।

जाएगी, ताकि क्यूबी एसआर में अपने निवेश का मूल्य निर्धारित कर सके। एनएवी प्राप्त करने के लिए, एआरसी द्वारा 'रिकवरी रेटिंग स्केल' पर एसआर का मूल्यांकन करवाया जाएगा और रेटिंग एजेंसियों को रेटिंग के लिए आधार का प्रकटन किया जाएगा।

(बी) रेटिंग/ग्रेडिंग 'डिफ़ॉल्ट' के मुकाबले 'रिकवरी रिस्क' पर आधारित होनी चाहिए, जो सामान्य आस्तियों में रेटिंग असाइनमेंट का आधार है, अर्थात समय पर भुगतान के बदले में कितना अधिक वापस वसूला जा सकता है। रेटिंग को भविष्य के नकदी प्रवाह की प्रत्याशित वसूली के वर्तमान मूल्य को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

(सी) रेटिंग को "रिकवरी रेटिंग (आरआर) स्केल" नामक विशेष रूप से विकसित रेटिंग पैमाने पर निर्धारित किया जाएगा। रिकवरी स्केल में प्रत्येक रेटिंग श्रेणी के लिए प्रतिशत के रूप में व्यक्त वसूली से जुड़ा एक सहयोगी रेंज होगा, जिसका उपयोग एसआर का एनएवी निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। रेटिंग एजेंसियों द्वारा वसूली से संबंधित रेंज को एक चिह्न सौंपा जाना चाहिए, जो परस्पर एक निर्दिष्ट प्रतिशत अंकों यथा (+/-) 10% से विचलित नहीं होगा। उक्त रेटिंग संकेतात्मक होगी।

(डी) रिकवरी रेटिंग का मूल्यांकन किसी अन्य प्रासंगिक दायित्व में फैक्टरिंग के बाद किया जाना चाहिए न कि मूल ऋण दायित्व पर।

(इ) रिकवरी रेटिंग निर्धारित करते समय जिन अन्य प्रमुख कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उनमें अधिग्रहित ऋण की सीमा, ऋणदाताओं की संरचना, उपलब्ध संपार्श्विक, प्रतिभूति और ऋण की वरिष्ठता, संस्थागत ऋणदाता की तुलना में व्यक्तिगत ऋणदाता, अनुमानित नकदी प्रवाह, प्रारंभिक अवधि में अपेक्षित नकदी प्रवाह को प्राप्त करने में अनिश्चितता, प्रबंधन, व्यावसायिक जोखिम, वित्तीय जोखिम आदि शामिल हैं।

(एफ) रिकवरी रेटिंग को एआरसी की समाधान रणनीति में समय-समय पर होने वाले परिवर्तन जैसे परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

(जी) रिकवरी रेटिंग एसआर की परिपक्वता तक अंतर्निहित ह्रासित आस्तियों से संभावित नकदी प्रवाह प्रभावित करेंगी।

(एच) रिकवरी रेटिंग में न केवल समग्र रूप से योजना के एसआर की रेटिंग शामिल होनी चाहिए, बल्कि जहां भी संभव हो, योजना में प्रत्येक घटक का पृथक्करण शामिल होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि बास्केट बनाने वाली योजना में शामिल प्रत्येक इकाई की अंतर्निहित आस्तियों का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

(आई) अनुरोध किये जाने पर रेटिंग एजेंसी को रेटिंग के लिए आधार का प्रकटन करना चाहिए।

(vii) एनएवी की घोषणा के लिए एसआर के मूल्यांकन के लिए पद्धति

रिकवरी स्केल में प्रत्येक रेटिंग श्रेणी के लिए प्रतिशत के रूप में व्यक्त वसूली से जुड़ा एक सहयोगी रेंज होगा, जिसका उपयोग एसआर का एनएवी निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। एनएवी, एसआर को प्रदत्त रेटिंग से संबन्धित रिकवरी रेंज के भीतर ही सीमित रहेगा। रिकवरी अनुभव के आधार पर एआरसी को रेटिंग एजेंसी से प्राप्त संकेत के आधार पर रिकवरी रेंज के भीतर एक विशिष्ट प्रतिशत का चयन करना चाहिए। इस प्रकार चयनित रिकवरी रेटिंग प्रतिशत के साथ एआरसी द्वारा एसआर के अंकित मूल्य से गुणा करने पर एनएवी प्राप्त होगा। एआरसी को रिकवरी रेटिंग के लिए विशिष्ट प्रतिशत का चयन किये जाने के तर्क का प्रकटन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि रेंज 81%-90% है तो एआरसी अपने विवेकानुसार 87% का चुनाव कर सकती है। 10 रुपए के अंकित मूल्य को रिकवरी प्रतिशत जैसे 87% से गुणा किया जाता है तो यह एनएवी 8.70 रुपए देगा]।

जारी अधिसूचनाओं की सूची

1. 7 मार्च 2003 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.1/सीजीएम(सीएसएम)/2003
2. 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.2/सीजीएम(सीएसएम)/2003
3. 28 अगस्त 2003 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.3/सीजीएम(ओपी)/2003
4. 29 मार्च 2004 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.4/ईडी(एसजी)/2004
5. 20 सितंबर 2006 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.5/सीजीएम(पीके)/2006
6. 19 अक्तूबर 2006 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.6/सीजीएम(पीके)/2006
7. 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि. नीति प्रभा.(एससी/आरसी)7/सीजीएम(एएसआर) 2010
8. 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.नीति प्रभा.(एससी/आरसी)8/सीजीएम(एएसआर)-2010
9. 21 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.नीति प्रभा.(एससी/आरसी)9/सीजीएम(एएसआर)-2010
10. 23 जनवरी 2014 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)10/पीसीजीएम(एनएसवी)-2014
11. 05 अगस्त 2014 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)11/पीसीजीएम(केकेवी)-2014
12. 07 अगस्त 2014 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)12/पीसीजीएम(केकेवी)-2014
13. 24 फरवरी 2015 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)01/सीजीएम(सीडीएस)-2015
14. 07 मई 2015 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.नीप्र(एससी/आरसी)02/सीजीएम(सीडीएस)-2015
15. 28 अप्रैल 2017 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.(नीप्र-एआरसी) 05/ईडी(एसएस)-2017

जारी परिपत्रों की सूची

1. 23 अप्रैल 2003 का गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.1/एससीआरसी/10.30/2002-03
2. 29 मार्च 2004 का गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.2/एससीआरसी/10.30/2002-03
3. 20 सितम्बर 2006 का गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.3/एससीआरसी/10.30.000/2006-07
4. 19 अक्तूबर 2006 का गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.4/एससीआरसी/10.30.000/2006-07
5. 25 अप्रैल 2007 का गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.5/एससीआरसी/10.30/2006-07
6. 28 मई 2007 का गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.6/एससीआरसी/10.30.049/2006-07
7. 05 मार्च 2008 का गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.8/एससीआरसी/10.30.000/2007-08
8. 22 अप्रैल 2008 का गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.9/एससीआरसी/10.30.000/2007-08
9. 26 सितम्बर 2008 का गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.12/एससीआरसी/10.30.000/2008-09
10. 22 अप्रैल 2009 का गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.13/एससीआरसी/26.03.001/2008-09
11. 24 अप्रैल 2009 का गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.14/एससीआरसी/26.01.001/2008-09
12. 21 अप्रैल 2010 का परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.17/एससीआरसी/26.03.001/2009-2010
13. 21 अप्रैल 2010 का परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.18/एससीआरसी/26.03.001/2009-2010
14. 21 अप्रैल 2010 का परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.19/एससीआरसी/26.03.001/2009-2010
15. 25 नवम्बर 2010 का परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.23/एससीआरसी/26.03.001/2010-2011
16. 25 मई 2011 का परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.24/एससीआरसी/26.03.001/2010-2011
17. 31 दिसम्बर 2013 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.34/एससीआरसी/26.03.001/2013-14
18. 23 जनवरी 2014 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.35/एससीआरसी/26.03.001/2013-14
19. 19 मार्च 2014 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.36/एससीआरसी/26.03.001/2013-14
20. 19 मार्च 2014 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.37/एससीआरसी/26.03.001/2013-14
21. 23 अप्रैल 2014 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.38/एससीआरसी/26.03.001/2013-14
22. 05 अगस्त 2014 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.41/एससीआरसी/26.03.001/2014-15
23. 07 अगस्त 2014 का गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.42/एससीआरसी/26.03.001/2014-15
24. 24 फरवरी 2015 का गैबैंविव (नीप्र)कंपरि.सं.01/एससीआरसी/26.03.001/2014-15
25. 07 मई 2015 का गैबैंविव (नीप्र)कंपरि.सं.02/एससीआरसी/26.03.001/2014-15
26. 01 जुलाई 2015 को जारी गैबैंविव (नीप्र)कंपरि.सं.03/एससीआरसी/26.03.001/2015-16
27. 01 जुलाई 2015 को जारी गैबैंविव (नीप्र)कंपरि.सं.04/एससीआरसी/26.03.001/2015-16

28. 28 अप्रैल 2017 को जारी गैबैंविव.नीप्र (एआरसी)कंपरि.सं.03/26.03.001/2016-17
29. 23 नवंबर 2017 को जारी गैबैंविव.नीप्र (एआरसी)कंपरि.सं.04/26.03.001/2017-18
30. 04 जनवरी 2018 को जारी गैबैंविव.नीप्र (एआरसी)कंपरि.सं.05/26.03.001/2017-18
31. 25 अक्तूबर 2018 को जारी गैबैंविव.नीप्र (एआरसी)कंपरि.सं.06/26.03.001/2018-19
32. 28 जून 2019 को जारी गैबैंविव.नीप्र (एआरसी)कंपरि.सं.07/26.03.001/2016-17
33. 06 दिसंबर 2019 को जारी विव.एनबीएफ़सी(एआरसी)कंपरि.सं.08/26.03.001/2019-20
34. 16 जुलाई 2020 को जारी विव.एनबीएफ़सी(एआरसी)कंपरि.सं.09/26.03.001/2020-21